विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की हक़ीक़त

घातक समय सीमा, मशीनी तरीके से छीने जाते हक और दावे-आपत्तियों के दौर से लेकर SIR नोटिस और सुनवाई की असली ज़मीनी हकीकत

SIR प्रक्रिया कैसे पूरी करें: एक ट्रेनिंग गाइड

पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व गुजरात में SIR प्रक्रिया का जांच-पड़ताल आधारित विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्ट

प्रस्तुतकर्ता:
सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP)
और वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD)

cjp.org.in
मताधिकार फक्त लोकशाहीसाठी | VOTE FOR DEMOCRACY

सूची

क्र. सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	**विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की हक़ीक़त** घातक समय-सीमा, मशीनी तरीके से छीने जाते हक और दावे-आपत्तियों के दौर से लेकर SIR नोटिस और सुनवाई की असली ज़मीनी हकीकत	2
2.	**परिचय: पृष्ठभूमि और संदर्भ**	3
3.	**अध्याय - 1: SIR की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना**	4
4.	**अध्याय - 2: हमारी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की रक्षा - मेरा वोट, मेरा अधिकार प्रशिक्षण एवं जागरूकता**	11
5.	**अध्याय - 3: वंचित करने की तकनीकें/प्रक्रियाएँ**	19
6.	**अध्याय - 4: ECI ने संवैधानिक दायित्व का कैसे उल्लंघन किया है**	21
7.	**अध्याय - 5 : समय-सीमाएं, दस्तावेजी प्रक्रिया, और सबूत इकट्ठा करने का बोझ**	28
8.	**अध्याय - 6: राज्य-वार ज़मीनी रिपोर्ट और केस स्टडी** I. असम: विशेष संशोधन (SR) और लक्षित तरीके से बाहर करना II. उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल III. तमिलनाडु और गुजरात: अनुभव और मुद्दे IV. गुजरात में SIR	36 37 45 54 55
9.	**अध्याय - 7: बिहार, 2025 SIR**	56
10.	**अध्याय - 8: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तथा संबंधित आदेश (2025–2026)**	58

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की हक़ीक़त

घातक समय-सीमा, मशीनी तरीके से छीने जाते हक और दावे-आपत्तियों के दौर से लेकर SIR नोटिस और सुनवाई की असली ज़मीनी हकीकत।

एसआईआर प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने वाली प्रशिक्षण पुस्तिका: पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में SIR अनुभव का जांच-पड़ताल भरा विश्लेषण और जमीनी रिपोर्ट

प्रस्तुतकर्ता: सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) एवं वोट फॉर डेमोक्रेसी (वीएफडी)

<u>एसआईआर प्रक्रिया पर दृष्टिकोण और अस्वीकरण:</u>

थोपा गया दायित्व, न कि वैध/सत्यापित प्रक्रिया

हम मूल रूप से मौजूदा, जल्दबाज़ी में किए गए 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को स्वीकार या उसका समर्थन नहीं करते हैं। यह एक ग़ैर-क़ानूनी और असंवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे देखने में ऐसा लगता है कि इसे बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार छीनने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे पहले इस तरह की प्रक्रियाएं इस तरीक़े से कभी नहीं की गई हैं। हालांकि इसका घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि "कोई भी मतदाता न छूटे," लेकिन वर्तमान SIR प्रक्रिया, असल में, भारत के संविधान को कमज़ोर करने का एक ज़रिया बन गई है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया को नागरिकों पर ज़बरदस्ती थोपा गया है।

एक ज़िम्मेदार नागरिक समूह के तौर पर, हम यह पुस्तिका- एक हैंडबुक की तरह- खुद को निर्देश देने और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने और इस असंवैधानिक बाधा से निपटने के लिए ज़रूरी साधन उपलब्ध कराना है, न कि इसे वैधता प्रदान करना। यह उन कार्यकर्ता समूहों के लिए भी एक उपयोगी प्रशिक्षण नियमावली है, जो प्रत्येक नागरिक की ओर से अधिकारियों के समक्ष हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

शुरुआत में, यह समझना और आत्मसात करना ज़रूरी है कि मौजूदा SIR *किस तरह और किन स्तरों पर न केवल स्थापित 'ड्यू प्रोसेस' (उचित प्रक्रिया) का उल्लंघन करता है, बल्कि यह उस तरीक़े से भी अलग है जिस तरह से इस तरह की प्रक्रिया -जैसे कि* 2003 *का पिछला* SIR- *की गई थी।*

2003 के SIR प्रक्रिया के दौरान, तीन पहलू मूल रूप से अलग थे।

1. यह प्रक्रिया छह महीने की अवधि में की गई थी - जो अगले चुनाव से काफी पहले था - न कि इस जल्दबाज़ी वाले तरीक़े से, जैसा कि अब होता है जब चुनाव नज़दीक आ रहे हों।

2. 2003 के दिशानिर्देशों में कहा गया था कि विशेष संशोधन में "मौजूदा सूचियों को आधार बनाकर घर-घर जाकर सत्यापन करना शामिल होगा।"

3. 2003 के दिशानिर्देश यह भी दर्शाते हैं कि मौजूदा मतदाता सूची और EPIC (इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र) ने 2003 की प्रक्रिया का आधार बनाया। EPIC नंबर (वोटर कार्ड का) और वोटर ID कार्ड, दोनों को ही वैध दस्तावेज़ों के रूप में स्वीकार किया गया था।

विवाहित लड़कियों (जिनकी शादी अक्सर 18 या 21 साल की उम्र से पहले हो जाती थी) की सही पहचान से जुड़ी समस्या का समाधान, पारंपरिक दस्तावेज़ों को स्वीकार करके और/या उनके मायके और ससुराल, दोनों गांवों के मुखियाओं से पहचान की पुष्टि करवाकर हल किया गया।

पहले से मौजूद मतदाताओं (यदि वे सूची से छूट गए हों) से यह नहीं कहा गया कि वे झूठी घोषणा करें कि वे कभी मतदाता नहीं थे। 2003 में SIR शुरू होने से पहले, एक तैयारी के तौर पर, उस इलाके के घरों की ज़रूरी मैपिंग का काम किया गया था।

इसके ठीक विपरीत, 2025-2026 में चुनाव आयोग ने न केवल उन 11 दस्तावेजों की सूची से वोटर ID कार्ड को बाहर कर दिया है, जिन्हें मतदाताओं की पात्रता के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता था, बल्कि उसने सुप्रीम कोर्ट में इसे शामिल किए जाने का विरोध भी किया है।

2003 का कदम सुविधा देने वाली प्रक्रिया थी, जबकि अब यह एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करती है।

2003 के SIR के लिए जारी 2003 के दिशानिर्देश इस हैंडबुक के उन अनुलग्नकों (Annexures) का हिस्सा हैं, जो अब ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं; इन्हें हमारी वेबसाइट https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/04/Annex-1-Guidelines-for-the-2003-SIR.pdf से प्राप्त किया जा सकता है।

परिचय:
पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

वोट देने का अधिकार किसी भी लोकतंत्र का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। लेकिन अक्सर वोटर लिस्ट संभालने वाली सरकारी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई होती है कि सबसे गरीब, हाशिए पर रहने वाले नागरिक और जिनके पास ठीक से कागज़ात नहीं हैं, वे इससे बाहर हो जाते हैं। अभी कई राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2025-2026 -और असम में स्पेशल रिवीजन (SR)- ने इस सिस्टम की गहरी और बड़ी कमियों को सामने ला दिया है।

जो काम कागज़ों में सिर्फ़ वोटर लिस्ट को अपडेट और सुधार करने की एक सरकारी प्रक्रिया के तौर पर बनाया गया था, वह ग्राउंड पर लोगों में डर और बड़े पैमाने पर वोट का अधिकार छिनने की वजह बन गया है। कमज़ोर और गरीब मतदाताओं पर यह लगभग नामुमकिन बोझ डाल दिया गया है कि वे अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए कई दशकों पुराने दस्तावेज़ दिखाएं। सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) की टीम, जो इन राज्यों में काम कर रही है, ने पाया है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में भारी दिक्कतें आ रही हैं, फॉर्म-7 जैसे नियमों का खुलकर गलत इस्तेमाल हो रहा है, और हालात इतने खराब हैं कि डर के कारण कुछ मतदाताओं और ज़्यादा दबाव झेल रहे बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं।

यह हैंडबुक एक तरफ़ जहां आसान और काम आने वाली ट्रेनिंग गाइड है, वहीं दूसरी तरफ़ गहराई से की गई जांच-पड़ताल और विश्लेषण भी है, जिसमें ग्राउंड से जुटाई गई अहम रिपोर्टें और केस स्टडी शामिल हैं। इन्हें देखें तो SIR की प्रक्रिया की बारीकियां साफ़ समझ में आती हैं, पहले के संशोधनों से इसके बड़े अंतर सामने आते हैं, और हमारी राज्य की टीमों द्वारा तैयार की गई वास्तविक, विस्तार से दर्ज ग्राउंड रिपोर्ट्स और केस स्टडी भी सामने आती हैं। हमारी टीमों द्वारा जुटाए गए ये सूक्ष्म आंकड़े यह समझना आसान बना देते हैं कि आम लोगों- खासकर हाशिए पर रहने वाले वर्गों- को एक उदासीन, ठीक से तैयार न होने वाली और कई बार कठोर और अड़ियल नौकरशाही से जूझते समय किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इसका मक़सद कानूनी कदम उठाने और समाज की ओर से आवाज़ उठाने में मदद करना है।

अध्याय - 1

SIR की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना

SIR को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उस प्रशासनिक ढांचे और उसके स्तरों (हायरार्की) को साफ़ तौर पर समझें, जिनसे हमारा सामना होता है। हमें यह भी देखना होगा कि कौन-कौन अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और उन्हें किन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।

सबसे पहले यह जांचना ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति का नाम 2002-2004 के दौरान तैयार की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वोटर लिस्ट में है या नहीं। यह कदम खास तौर पर 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन सूचियों में नाम होना सीधे तौर पर मौजूदा जांच प्रक्रिया में उनकी स्थिति तय कर सकता है। वहीं, 1987 के बाद जन्मे लोगों को अपने माता-पिता के रिकॉर्ड खोजना पड़ता है। क्योंकि ये पुरानी वोटर लिस्ट पूरी तरह डिजिटल नहीं हैं और अक्सर पुराने रिकॉर्ड के रूप में ही रखी गई हैं, इसलिए इन्हें ढूंढने के लिए ऑनलाइन सर्च के साथ-साथ पुराने PDF रिकॉर्ड्स को मैन्युअली चेक करना भी ज़रूरी होता है।

मुख्य प्रक्रियाएं और ज़िम्मेदार अधिकारी

- **बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO):** प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के लिए नियुक्त अधिकारी।
- **सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO):** प्रत्येक तहसील के लिए नियुक्त अधिकारी।
- **निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO):** प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए SDM स्तर के अधिकारी। मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के अनुसार, ERO ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करता है, दावे और आपत्तियां स्वीकार कर उन पर फैसला करता है, और अंत में फाइनल वोटर लिस्ट तैयार करके प्रकाशित करता है।
- बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO), और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग की संरचना के तहत की जाती है। ये अधिकारी, हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, फिर भी एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। ज़िला स्तर पर, BLO, AERO और ERO, ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO)- जो कि ज़िला मजिस्ट्रेट होते हैं- की देखरेख और निगरानी में कार्य करते हैं। इसके साथ ही, उनके कार्य संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े होते हैं।
- इसी के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया के दौरान और मतदाता सूचियों से संबंधित मामलों में, BLOs, AEROs, EROs और DEO, चुनाव आयोग के नियंत्रण और निर्देशों के तहत कार्य करते हैं। आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक जनादेश के माध्यम से इस नियंत्रण का इस्तेमाल करता है, जिसमें कर्तव्य के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने की शक्ति भी शामिल है। यह राज्य-स्तरीय अधिकारियों, जिला प्राधिकारी, CEO और भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच एक जुड़ाव स्थापित करता है। नीचे दिया गया चार्ट इसे ग्राफ़िक रूप से दर्शाता है।
- अंत में, एक रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एक निर्वाचन क्षेत्र में, या कभी-कभी दो निर्वाचन क्षेत्रों में- जैसा कि ECI द्वारा निर्देश दिया जाता है- चुनाव की देखरेख करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। R.P. Act, 1951 की धारा 21 और 22 के तहत, ECI किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए RO और ARO की नियुक्ति करता है, जिसके लिए वह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) से - जैसा भी मामला हो- परामर्श करता है। ECI, RO के तौर पर IAS और राज्य-स्तरीय PCS अधिकारियों- आमतौर पर राज्य सरकार के अधिकारियों (RO - SDM (PCS Officer))- दोनों को नियुक्त कर सकता है। शहरी क्षेत्रों में, ADM रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, और कभी-कभी DEO भी (एक-दूसरे की जगह) RO हो सकता है।

ADMINISTRATIVE MACHINERY OF ELECTORAL SYSTEM

The following chart depicts the hierarchical pyramid of administrative machinery of electoral system in India:-

Administrative framework	Legal Provisions
Election Commission of India (ECI)	At the apex level of the administrative machinery of electoral system is Election Commission of India. Article 324 of the Constitution lays down, among other things, that the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for all elections to Parliament and to the Legislature of every State shall be vested in the Election Commission.
Chief Electoral Officer (CEO)	Under Section 13 A of the Representation of the People Act, 1950, there shall be a Chief Electoral Officer (CEO) for each State/Union Territory. He is an officer of the State Government designated or nominated by the Election Commission in this behalf in consultation with the State Government.
District Election Officer (DEO)	Section 13 AA of the Representation of the People Act, 1950 provides for the appointment of a District Election Officer in each district who shall be an officer of Government. Normally, the District Collectors / District Magistrates / Deputy Commissioners are designated as the District Election Officers (DEO) of their districts. District Election Officer shall coordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with preparation and revision of electoral rolls for all parliamentary, and assembly constituencies.
Electoral Registration Officers (ERO)	According to Section 13B of Representation of the People Act, 1950 the electoral roll for each constituency in the State shall be prepared and revised by an Electoral Registration Officer (ERO), who is an officer of State Government, normally of Tehsildar level or an officer of equivalent status.
Assistant Electoral Registration Officer (AERO)	Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 provides for the appointment of one or more persons as Assistant Electoral Registration Officers (AERO) to assist Electoral Registration Officer in the performance of his functions. The Assistant Electoral Registration Officers are competent to perform all the functions of the Electoral Registration Officer.
Booth Level Officer (BLO)/designated Officers/Enumerators, Supervisors Inspectors etc.	At the lowest level of administrative machinery of electoral system are BLOs. There are some supervisory officers above BLOs. These supervisory officers maintain checks on the quality of work done by BLO and closely monitor it. Each supervisory officer has 10-20 BLOs under his/her supervision.
Appellate authority	1. During the process of preparation or revision of electoral roll, an appeal shall lie from any decision of the Electoral Registration Officer under rules 20, 21, or 21A of the RER, 1960 to the Deputy Commissioner/District Magistrate/District Collector. 2. During the continuous updation of the roll, an appeal against any order of the Electoral Registration Officer, under Section 22 or 23 of the Representation of the People Act, 1950 will lie before the DM/ADM/Executive Magistrate/District Collector and a further appeal against the order of the Appellate Authority will lie before the Chief Electoral Officer.

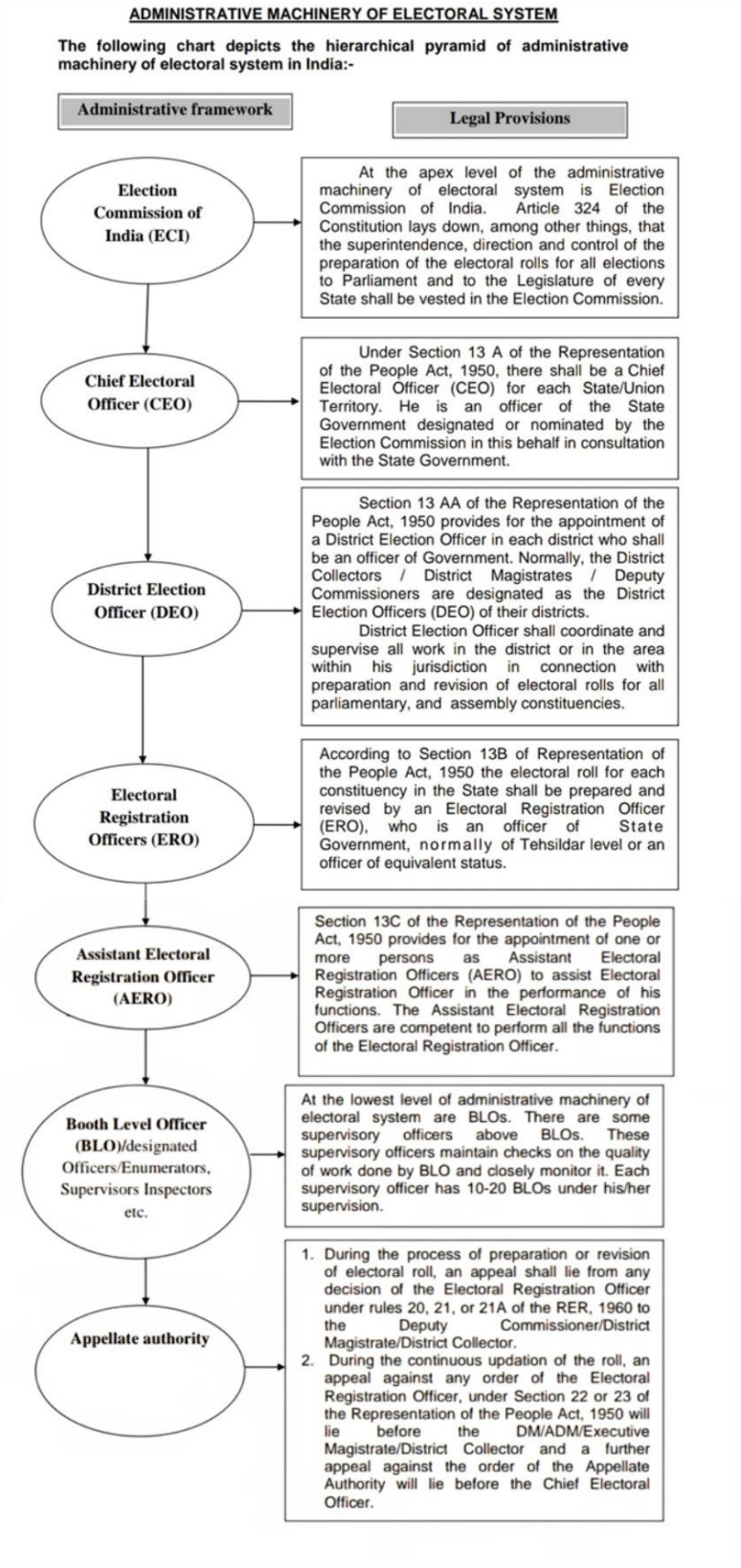

स्रोत: बूथ लेवल अधिकारियों के लिए हैंडबुक, 2011, *https://share.google/OzKgvqgyZTc6O1mPg*

निर्वाचन प्रणाली की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी

नीचे दिया गया चार्ट भारत में चुनावी व्यवस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के पदक्रम (हायरार्किकल) पिरामिड को दर्शाता है:-

प्रशासनिक ढांचा	कानूनी प्रावधान
भारतीय चुनाव आयोग (ECI)	चुनावी व्यवस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के सबसे ऊपरी स्तर पर भारत का चुनाव आयोग है। संविधान का अनुच्छेद 324, अन्य मामलों के साथ, यह भी कहता है कि संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने का पूरा नियंत्रण, दिशा-निर्देशन और निगरानी का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950) के सेक्शन 13 A के तहत, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) होगा। वह राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है जिसे चुनाव आयोग राज्य सरकार से सलाह करके इस काम के लिए नियुक्त या नामित करता है।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO)	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950) के सेक्शन 13 AA में प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की नियुक्ति का प्रावधान है, जो सरकार का एक अधिकारी होगा। आम तौर पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर / डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट / डिप्टी कमिश्नर को उनके ज़िलों का ज़िला निर्वाचन अधिकारी (DEO) बनाया जाता है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी सभी संसदीय और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनमें संशोधन करने से जुड़े ज़िले या अपने अधिकार क्षेत्र के सभी कार्यों का समन्वय और निगरा करेगा।
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO)	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950) के सेक्शन 13बी के अनुसार, राज्य के हर चुनाव क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) तैयार करेगा और उसमें संशोधन करेगा। यह अधिकारी राज्य सरकार का होता है, आम तौर पर तहसीलदार स्तर का या उसके बराबर का कोई अधिकारी होता है।
सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (IRO)	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950) के सेक्शन 13सी में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को उसके काम करने में मदद करने के लिए एक या ज़्यादा लोगों को सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के तौर पर नियुक्त करने का नियम है। सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सभी काम करने के योग्य हैं।
बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO)/नामित अधिकारी/गणनाकर्मी, सुपरवाइजर इंस्पेक्टर आदि	चुनावी व्यवस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के सबसे निचले स्तर पर बीएलओ होते हैं। इन बीएलओ के ऊपर कुछ निगरानी अधिकारी (सुपरवाइज़री अधिकारी) होते हैं। ये निगरानी अधिकारी बीएलओ के काम की गुणवत्ता पर नज़र रखते हैं और उस पर करीब से नज़र रखते हैं। हर निगरानी अधिकारी के अधीन 10-20 बीएलओ होते हैं।
अपीलीय प्राधिकरण	1. मतदाता सूची तैयार करने या संशोधन की प्रक्रिया के दौरान, आरईआर, 1960 के नियम 20, 21, या 21ए के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के किसी भी निर्णय के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर/ज़िला मजिस्ट्रेट/ज़िला कलेक्टर के पास अपील की जा सकेगी। 2. मतदाता सूची के लगातार अपडेट होने की प्रक्रिया के दौरान, रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 22 या 23 के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील डीएम/एडीएम/एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास की जा सकती है और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ आगे की अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास की जा सकती है।

स्रोत: बूथ लेवल अधिकारियों के लिए हैंडबुक, 2011, https://share.google/OzKgvqgyZTc6O1mPg

गणना के चरण में BLOs की भूमिका

इस प्रक्रिया में BLO सबसे आगे रहकर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। उसके जिम्मे जो काम दिए जाते हैं, उनमें शामिल हैं:

- प्रत्येक मतदाता को गणना फ़ॉर्म (EFs) देना।
- मतदाता को 2002-2004 में हुई पिछली SIR में उनके नाम या उनके किसी रिश्तेदार के नाम से मिलान/लिंक करने में मदद करना।
- मतदाताओं के मिलान/लिंक करने के लिए, BLOs पिछली SIR के अखिल भारतीय डेटाबेस (https://voters.eci.gov.in/) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- नए वोटर को शामिल करने के लिए फ़ॉर्म 6 और घोषणा फ़ॉर्म इकट्ठा करना, और मिलान/लिंक करने में मदद करना।
- वोटर को गणना फ़ॉर्म भरने में मदद करना, उसे इकट्ठा करना और ईआरओ/एईआरओके पास जमा करना।
- प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाना।
- मतदाता EF ऑनलाइन भी भर सकते हैं, खासकर शहरी मतदाता/अस्थायी तौर पर दूसरी जगह गए हुए मतदाता।
- उन वोटरों की पहचान करना जिनकी मौत हो चुकी है, जो हमेशा के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, और जो एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं।
- गणना चरण के दौरान गणना फॉर्म (EF) के अलावा, उसके साथ कोई और दस्तावेज़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है।

प्राप्त हुए फ़ॉर्म्स को संभालना

- प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और BLO को फ़ॉर्म 9 में दावों, फ़ॉर्म 10 में नामों को शामिल करने पर आपत्तियों, फ़ॉर्म 11 में खास जानकारियों पर आपत्तियों और फ़ॉर्म 11A में नाम ट्रांसफ़र करने के आवेदनों के लिए, दो कॉपी में एंट्रीज़ की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए।
- RO/BLO को इन फ़ॉर्म्स की कॉपी को उस इलाके के DO के ऑफ़िस के नोटिस बोर्ड पर लगाना होता है।
- RO को RER, 1960 के नियम 15 के तहत इन सूचियों को संभालकर रखना होता है।
- EROs को भी RER, 1960 के नियम 16 के तहत फ़ॉर्म्स की 4 सूची को संभालकर रखना होता और AERO/DO/BLO से सीधे मिली एंट्रीज़ को उनमें दर्ज करना होता है।
- ERO को नोटिस बोर्ड पर लगी लिस्ट को तब तक वहीं रहने देना होता है, जब तक कि दावों और आपत्तियों का निपटारा न हो जाए।
- ERO को सभी फ़ॉर्म्स मिलते ही उन्हें ERMS में कंप्यूटर पर दर्ज करवा देना होता है, ताकि वे CEO की वेबसाइट पर दिखाई देने लगें और आवेदक उन्हें वेबसाइट पर या SMS के ज़रिए ट्रैक कर सकें।
- फ़ॉर्म्स पर आगे की कार्रवाई तभी की जाती है, जब वे CEO की वेबसाइट पर दिखाई देने लगते हैं।

प्रारूप मतदाता सूचियों (Draft Electoral Rolls) का प्रकाशन

- प्रारूप सूचियों में वे सभी मतदाता शामिल होंगे जिनके गणना प्रपत्र (फ़ॉर्म) प्राप्त हो चुके हैं।
- अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/दोहरे नामों की सूची, जिन्हें प्रारूप सूची में शामिल नहीं किया गया है, CEO की वेबसाइट/सार्वजनिक कार्यालयों पर प्रदर्शित की जाएगी।

EROs/AEROs की भूमिका

- ड्राफ़्ट मतदाता सूची में उन सभी मतदाताओं के नाम शामिल करना, जिनके गणना फ़ॉर्म प्राप्त हो गए हैं।
- नियम 20, 1960 के नियमों के तहत, सभी फ़ॉर्मों के दावों की जांच करना, जिनमें फ़ॉर्म 6 (नाम शामिल करना), फ़ॉर्म 7 (नाम जोड़ने पर आपत्ति/नाम हटाने का अनुरोध), फ़ॉर्म 8 (किसी विशेष प्रविष्टि में सुधार), फ़ॉर्म 8A (एक ही विधानसभा क्षेत्र (AC) में नाम को एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करना) और फ़ॉर्म 8B (नाम हटाना) शामिल हैं।
- ERO अपनी ओर से (suo-moto) उन नामों को शामिल/हटा सकते हैं, जो अनजाने में हटा दिए गए हों/शामिल हो गए हों; लेकिन ऐसा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही किया जाएगा।

EROs/AEROs द्वारा नोटिस जारी करना और उस पर निर्णय लेना

- उन सभी मतदाताओं को SIR नोटिस जारी करना जिनकी पहचान/नाम पिछले SIR से मेल नहीं खा सके या लिंक नहीं हो पाए।
- उन मतदाताओं को नोटिस जारी करना जो पिछले SIR से मेल नहीं खा सके या लिंक नहीं हो पाए।
- एक मतदाता के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सहायक दस्तावेजों का सत्यापन करना।
- पिछले SIR से पहले उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए सुनवाई करना।
- पात्रता से संबंधित ऐसे मामलों की सुनवाई करना और अंतिम मतदाता सूची (Final Rolls) में उनके नाम शामिल करने या हटाने के संबंध में निर्णय लेना।

EROs/AEROs द्वारा दावों व आपत्तियों को प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना

- कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का BLA कोई दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है।
- सूची से नाम हटाए जाने/जोड़े जाने से असंतुष्ट कोई भी मतदाता, या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का BLA, ERO के समक्ष कोई दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है।
- ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पहली अपील और CEOs द्वारा दूसरी अपील को प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना।
- जिला मजिस्ट्रेट (DM), ERO के निर्णय के ख़िलाफ़ (1960 के नियमों के नियम 23 के तहत ज्ञापन के रूप में) पहली अपील की सुनवाई करते हैं।
- अपील, 1960 के नियमों के नियम 20, 21 और 21A के तहत लिए गए निर्णयों के ख़िलाफ़ की जा सकती है।
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), ज़िला मजिस्ट्रेट के निर्णय के ख़िलाफ़ दूसरी अपील की सुनवाई करते हैं।
- पहली और दूसरी अपील का प्रारूप यहां देखा जा सकता है:

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,

...................जिला, असम.

विषय: .... विधानसभा क्षेत्र के ERO के अवैध निर्णय के ख़िलाफ़ अपील; जिसके परिणामस्वरूप, बिना कोई नोटिस दिए अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए, अंतिम मतदाता सूची 2026 से मेरा नाम अवैध रूप से हटा दिया गया है।

आदरणीय महोदय,

मैं, ..., पुत्र/पुत्री/पति ...., आयु लगभग ...... वर्ष, निवासी ग्राम-............., डाकघर ...., थाना ...., जिला:-.............., असम, पिन 781315, बेहद विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित निवेदन करता हूं:

1. *कि मैं भारत का एक वैध नागरिक हूं और आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ऊपर बताए गए पते का स्थायी निवासी हूं।*
2. *कि मैं एक वैध मतदाता हूं और मेरा EPIC नंबर है: .... मेरा नाम 27-12-2025 को प्रकाशित ड्राफ़्टमतदाता सूची में भाग संख्या.............. , क्रम संख्या .... के तहत विधानसभा क्षेत्र ....में शामिल किया गया था।*
3. *कि मैं ऊपर बताए गए पते का स्थायी निवासी हूं, जो ऊपर बताए गए मतदान केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मैं वहां सामान्य रूप से या लगातार निवास कर रहा हूं।*
4. *कि मेरा नाम 10-02-2026 को प्रकाशित 2026 की अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया गया है; ऐसा मुझे कोई नोटिस दिए बिना और SR अवधि के दौरान मुझे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना किया गया है।*
5. *कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), विधानसभा क्षेत्र...................... ने, क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट का उचित मूल्यांकन किए बिना, कोई भी स्पष्ट/तर्कसंगत आदेश पारित किए बिना मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया है। 10-02-2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है।*

6. *कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), विधानसभा क्षेत्र ..... ने कानून के उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया है कि "किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई निर्णय उसकी बात सुने बिना नहीं लिया जाना चाहिए।"*
7. *कि मैं आज भी उसी पते पर स्थायी/सामान्य रूप से रह रहा/रही हूं और मैंने कभी कहीं और निवास नहीं बदला है। मेरा नाम भारत में किसी भी अन्य स्थान की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। अपने स्थायी निवास के समर्थन में मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न कर रहा/रही हूं:*

a) *आधार कार्ड की प्रति*
b) *वोटर आईडी कार्ड (पुराना) की प्रति*
c) *निवास का कोई अन्य प्रमाण (जैसे: पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चों के स्कूल के रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, फाइनल NRC की प्रति आदि)*

अपील के आधार:

A. *कि ERO (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) ने 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया; इसमें उपलब्ध दस्तावेजों और प्रभावित मतदाता के आवेदनों पर विचार करना, विवरण 1 का अंश, BLO की फील्ड रिपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने कोई तर्कसंगत आदेश दिए बिना और उस आदेश की प्रति प्रभावित मतदाता होने के नाते मुझे सूचित किए बिना ही यह कार्रवाई की।*
B. *कि ERO की यह कार्रवाई मनमानी, अवैध है, और यह नैसर्गिक न्याय (natural justice) के सिद्धांतों के साथ-साथ 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' के प्रावधानों का भी उल्लंघन करती है।*
C. *मैं उक्त निर्वाचन क्षेत्र के उक्त मतदान केंद्र पर एक मतदाता के रूप में पंजीकृत रहने के लिए पूरी तरह से पात्र और योग्य हूं।*

प्रार्थना:

उपर्युक्त तथ्यों और आधारों को देखते हुए, बेहद विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय प्राधिकारी कृपया निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करें:

a) *इस अपील को स्वीकार करें और ERO, LAC से मामले के रिकॉर्ड (यदि कोई हों) तलब करें।*
b) *ERO द्वारा की गई विवादित कार्रवाई को, जिसके तहत मेरा नाम हटा दिया गया था, रद्द करें।*
c) *ERO, LAC को निर्देश दें कि वे संबंधित भाग की मतदाता सूची में मेरा नाम तत्काल बहाल करें और एक नई वोटर स्लिप/EPIC कार्ड जारी करें।*
d) *न्याय के हित में जो भी अन्य आदेश उचित समझें, वे पारित करें।*

स्थान:

दिनांक:

भवदीय,

[आपका हस्ताक्षर]

[आपका पूरा नाम]

[मोबाइल नंबर]

[ईमेल ID, यदि कोई हो]"

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (AEROs) और रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं।

EROs/AEROs को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए; और
- कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।

नोटिस जारी करना और सुनवाई

यदि किसी मतदाता का नाम पिछले SIR से मेल नहीं खाता/लिंक नहीं हो पाता, तो एक सख़्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाती है:

- SIR नोटिस: उन सभी मतदाताओं को जारी किया जाता है, जिनके विवरण पुराने डेटाबेस से मेल नहीं खा सके/लिंक नहीं हो सके।
- सत्यापन: EROs पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सहायक दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।
- सुनवाई: मतदाताओं को सुनवाई में मौजूद होना अनिवार्य है, ताकि वे पिछले SIR से पहले अपने ठिकाने की पुष्टि कर सकें और अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने की अपनी पात्रता साबित कर सकें।

दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना

- कोई भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का बूथ स्तरीय एजेंट (BLA), ERO के समक्ष कोई दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।
- अगर किसी मतदाता को नाम जोड़ने या हटाने से शिकायत है (या BLA की ओर से), तो वह अपील भी कर सकता है।
- पहली अपील: ज़िला मजिस्ट्रेट (DM), ERO के निर्णय के ख़िलाफ़ पहली अपील की सुनवाई करते हैं (1960 के नियमों के नियम 23 के तहत एक ज्ञापन के रूप में), जो नियम 20, 21 और 21A के अंतर्गत लिए गए निर्णयों से संबंधित होती है।
- दूसरी अपील: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के CEO, ज़िला मजिस्ट्रेट के निर्णय के ख़िलाफ़ दूसरी अपील की सुनवाई करते हैं।

SIR – अनिवार्य समावेशन या सोची-समझी उपेक्षा?

2025 का बिहार SIR और उसके बाद (2026) होने वाली SIR प्रक्रियाएं, जो अभी चल रही हैं, उन्होंने जनता में भारी चिंता और उथल-पुथल पैदा कर दी है। जिस जल्दबाजी और असंवेदनशीलता के साथ यह प्रक्रिया पूरी की गई है, उस पर हर दिन बड़े पैमाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उसकी पोल खोली जा रही है।

पहली SIR प्रक्रिया (बिहार, जून 2025) की घोषणा के बाद से ही, जिस अनुचित जल्दबाजी के साथ ECI/SECs ने मौजूदा SIR प्रक्रियाओं (और असम में SR प्रक्रिया) को पूरा किया है/कर रहे हैं, वह अपने आप में एक बाधा बन गई है।

यह पुस्तिका नागरिकों के लिए एक मार्गदर्शिका है, ताकि वे उस स्थिति से निपट सकें जो अब एक प्रशासनिक बोझ और चुनौती बन गई है। इसमें उन सुरक्षा उपायों का विस्तार से ज़िक्र किया गया है जिन्हें हम अपना सकते हैं, और उन तैयारियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करके हम अपने मतदान के अधिकार और नागरिकता की रक्षा कर सकते हैं। याद रखें, यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और सभी स्तरों पर नागरिक समूहों के प्रयासों - जिन्होंने ECI की कार्यप्रणाली में खामियों को उजागर किया - के कारण ही संभव हो पाया है कि अब हमारे लिए कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। प्रशासन की किसी भी मनमानी का मुकाबला करने के लिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के इन महत्वपूर्ण आदेशों या 2003 के दिशानिर्देशों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।

एक उपयोगी मार्गदर्शिका होने के साथ-साथ, यह पुस्तिका अन्य राज्यों में हमारे साथी भारतीयों को अनुभव हुई कमियों और तकनीकी गड़बड़ियों का भी विस्तार से वर्णन करती है। इन केस स्टडीज़ (मामलों के अध्ययन) को समझकर, हम अपने राज्य में SIR प्रक्रिया शुरू होने पर उसका सामना करने के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं।

अध्याय - 2

हमारी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की रक्षा: मेरा वोट, मेरा अधिकार

प्रशिक्षण एवं जागरूकता

SIR प्रक्रिया शीर्षक पर हमारा रुख : एक थोपा गया बोझ, न कि कोई मान्य प्रक्रिया

- **कोई समर्थन नहीं:** हम मूल रूप से वर्तमान, जल्दबाजी में की गई 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया को स्वीकार या उसका समर्थन नहीं करते हैं। यह एक अवैध एवं असंवैधानिक कवायद है, जिसे बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार छीनने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पहले ऐसी प्रक्रियाएं इस तरह से संचालित नहीं की गई थीं।[1]

- **संविधान का उल्लंघन:** हालांकि इसका घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि "कोई भी मतदाता पीछे न छूटे" और डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं को सूची से हटाना है, लेकिन वर्तमान SIR प्रक्रिया, संविधान को बचाने की आड़ में, असल में भारत के संविधान का ही उल्लंघन है।

- **हम यहां क्यों हैं:** यह प्रक्रिया नागरिकों पर जबरन थोपी गई है। एक ज़िम्मेदार नागरिक समूह के तौर पर, हम यह प्रशिक्षण आपको सशक्त बनाने के लिए दे रहे हैं- ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और इस असंवैधानिक बाधा का सामना कर सकें; हमारा उद्देश्य इस प्रक्रिया को वैधता प्रदान करना बिल्कुल भी नहीं है।

आप अकेले नहीं हैं - आपका वोट देने का अधिकार निश्चित है, आपकी नागरिकता एक स्वाभाविक गारंटी है।

- **अनुच्छेद 326 की शक्ति:** वोट देने का आपका अधिकार एक मौलिक संवैधानिक गारंटी है। इसे किसी खराब सॉफ्टवेयर या जल्दबाज़ी में तय की गई प्रशासनिक समय-सीमाओं के आधार पर मनमाने ढंग से खत्म नहीं किया जा सकता।

- **नागरिकता की कानूनी धारणा:** सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'लाल बाबू हुसैन (1995)' फैसले के अनुसार: यदि आपके पास EPIC (वोटर ID) है और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो कानून यह मानकर चलता है कि आप पात्र हैं। आप एक नागरिक हैं, कोई संदिग्ध नहीं।

- **राज्य का वास्तविक दायित्व:** चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि "कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए।" SIR नोटिस केवल एक पूछताछ है, न कि लोकतंत्र से बेदखली।

SIR नोटिस को समझना: ज़मीनी हकीकत

एक व्यवस्थागत रुकावट, कोई अंतिम फ़ैसला नहीं

- **एल्गोरिद्म का जाल:** लाखों वैध मतदाताओं (जैसे, पश्चिम बंगाल में 1.4 करोड़) को ऐसे अप्रमाणित (untested) सॉफ़्टवेयर की वजह से नोटिस मिले, जो 2002-2004 की मतदाता सूचियों से रिकॉर्ड का मिलान करने की कोशिश कर रहा था।

- बंगाल में 'तथाकथित व्यवस्थागत त्रुटियों' में यह भी शामिल है कि एक ही/मिलते-जुलते नाम वाले छह मतदाताओं को एक ही माता-पिता की संतान के तौर पर दिखाया गया!

- EC का अवास्तविक पैमाना या मांग (अपनी जांच-पड़ताल के दौरान) कि माता-पिता की उम्र में 50 साल का अंतर होने पर मतदाता का नाम सूची से हटाया जा सकता है, सामान्य बुद्धि के खिलाफ है - क्योंकि पुरुष 55 साल की उम्र में भी शादी करते हैं!

- **नोटिस जारी होने के पीछे की सिस्टम से जुड़ी गलतियां:**
  - **अनुवाद की कमियां:** ऑटोमेटेड सॉफ़्टवेयर ने क्षेत्रीय नामों (जैसे बंगाली) का ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी में अनुवाद कर दिया, और वर्तनी की छोटी-मोटी गलतियों को "संदिग्ध" बता दिया।
  - **उम्र के अंतर से जुड़ी गड़बड़ियां:** एल्गोरिदम ने परिवार के सदस्यों की उम्र के बीच के अंतर की गलत गणना की, और सही परिवारों को भी संदिग्ध बता दिया।

- असलियत: नोटिस मिलने का मतलब है कि अब आपको कानूनी तौर पर सिस्टम को यह मानने के लिए मजबूर करना होगा कि कंप्यूटर जिस मानवीय सच्चाई को वेरिफ़ाई नहीं कर पाया, वह असल में मौजूद है।

2002–2004 की मतदाता सूचियों में नाम कैसे खोजें/ढूंढें

यह उन मतदाताओं पर लागू होता है जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ था [1]

2002-2004 की मतदाता सूचियों (विशेष रूप से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' - SIR के तहत) में अपना नाम खोजने के लिए ऑनलाइन सर्च टूल्स और मैन्युअल जांच, दोनों की ज़रूरत होती है; ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराना चुनावी डेटा अक्सर पूरी तरह से डिजिटाइज़्ड डेटाबेस के बजाय स्कैन किए गए या PDF फ़ॉर्मेट में स्टोर होता है।

किसे जांच करनी चाहिए?

• 1987 से पहले जन्मे सभी व्यक्ति को

• SIR-लिंक्ड प्रक्रियाओं के तहत सत्यापन के लिए आवश्यक

कैसे?

इसका पहला तरीका निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पोर्टल है। वोटर सर्विसेज़ वेबसाइट (voters.eci.gov.in) पर जाकर या ECINET मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके, यूज़र्स "Search your name in Last SIR" फ़ीचर को एक्सेस कर सकते हैं। इस पेज पर पहुंचने के बाद, भले ही वोटर की पूरी जानकारी उपलब्ध न हो, फिर भी कोई भी व्यक्ति राज्य, ज़िला, विधानसभा क्षेत्र और पूरा नाम जैसी बुनियादी जानकारियां डालकर खोज कर सकता है। कैप्चा सबमिट करने के बाद, सिस्टम 2002-2003 के SIR डेटाबेस से मिलते-जुलते या मैच करने वाले नामों की एक लिस्ट तैयार करता है, जिससे यूज़र्स स्पेलिंग में अंतर या अधूरी जानकारी होने पर भी संभावित मैच की पहचान कर पाते हैं।

हालांकि, पुराने डेटासेट की सीमाओं को देखते हुए, अक्सर मैन्युली से खोजना ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के वोटर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए सीधे पुराने इलेक्टोरल रोल्स (मतदाता सूचियों) को एक्सेस कर सकते हैं और 2002 की सूचियों से बूथ-वार PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इन PDF फ़ाइलों में मैन्युअली से खोजना पड़ता है।

ज़्यादा सटीक मैन्युअल सर्च के तरीक़े- जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे हिंदी बोलने या पढ़ने वाले राज्यों के लिए ज़्यादा काम का है- में सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि नाम सही लिपि (अक्सर हिंदी) में ही सर्च किया जाए। Google Input Tools जैसे टूल का इस्तेमाल करके, यूज़र नाम को देवनागरी/हिंदी में टाइप करके कॉपी कर सकते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट की संबंधित बूथ-लेवल PDF खोलने के बाद, "Control + F" (Find) फ़ंक्शन का इस्तेमाल करके नाम को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके ढूंढा जा सकता है। यह तरीक़ा ख़ास तौर पर इसलिए काम का है, क्योंकि इस दौर की वोटर लिस्ट अक्सर बूथ के हिसाब से और क्षेत्रीय लिपियों में वर्णमाला के क्रम में लगी होती हैं, जिससे सीधे अंग्रेज़ी में सर्च करना बेअसर साबित होता है।

ये दोनों तरीके-डेटाबेस सर्च और मैन्युअल PDF नेविगेशन- मिलकर 2002–2004 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने का मुख्य प्रक्रिया बनती है, खासकर SIR जैसी वेरिफ़िकेशन प्रक्रियाओं के संदर्भ में।

नोट I: अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है, तो आपको अपने माता-पिता का पुराना डेटा (legacy data) ढूंढना होगा।

नोट II: अगर आपका नाम 2002–2004 की वोटर लिस्ट में आता है, तो मौजूदा प्रक्रिया के तहत आपको कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए।

2002 की सूची में नाम जांच करने के लिए वेबसाइट लिंक: https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE

अपना नाम कैसे खोजें: How to search for your name: https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/04/Annex-5-How-to-Search-for-your-Name-in-the-last-SIR-2002-2003-List.pdf

"पुराने डेटा" (Legacy Data) का खतरा

अनुचित ऐतिहासिक मांगों पर काबू पाना

- **मुख्य चुनौती:** प्रशासन मतदाताओं से 20 साल पुराना वंशावली डेटा पेश करने की उम्मीद करता है। इससे किरायेदारों, विस्थापित व्यक्तियों और हाशिए पर पड़े समूहों को असमान रूप से नुकसान होता है, जिनके पास ऐतिहासिक कागजात नहीं होते। यह नियम 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं पर लागू होता है.

[1] 1988 में, 61वें संशोधन के द्वारा, उन सभी लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी।

- **कानूनी पक्ष:** 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए- भले ही आप 2003 की सूचियों में अपने माता-पिता के नाम न ढूंढ़ पाएं- फिर भी आपका वर्तमान, दस्तावेज़ों में दर्ज अस्तित्व गहरी संवैधानिक वैधता रखता है।

- अपने वर्तमान के प्राथमिक दस्तावेज़ों पर मज़बूती से टिके रहें। पिछले डेटा (legacy data) की कमी आपके वर्तमान अधिकारों को समाप्त नहीं करती।

आपका बचाव:

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), जिसे चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को मौजूदा या संभावित मतदाताओं से आधार नंबर इकट्ठा करने का अधिकार देती है, ताकि उनकी पहचान की पुष्टि की जा सके और मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों को प्रमाणित किया जा सके।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(5), जिसे 2021 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों को प्रमाणित करने के लिए आधार को मतदाता सूची से स्वेच्छा से जोड़ने की अनुमति देती है। मतदाता अपना आधार नंबर फॉर्म 6B के ज़रिए जमा कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है; यदि कोई उचित कारण बताया जाता है, तो आधार नंबर न दे पाने के कारण किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता।

नोट: RP अधिनियम 1950 के पृष्ठ संख्या 16 (जिसमें धारा 23 की उप-धारा 4 और 5 की प्रति शामिल है) को डाउनलोड करें और इस बात पर ज़ोर दें कि इसे स्वीकार किया जाए। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी से एक लिखित नोट देने की मांग करें, जिसमें यह लिखा हो कि इसे क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

अपनी पहचान स्थापित करना

नियमों का पालन अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश

नागरिकों की सुरक्षा के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाध्यकारी दिशा-निर्देश तय किए हैं। अधिकारियों के लिए इन मूल दस्तावेज़ों को स्वीकार करना क़ानूनी रूप से अनिवार्य है:

- **आयु, माता-पिता की पहचान और शैक्षिक सत्यापन के लिए**: आपका वैध एडमिट कार्ड और माध्यमिक (10वीं कक्षा) की मार्कशीट। (सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 19.01.2026 और 25.02.2026 के आदेशों द्वारा अनिवार्य)।
- **प्राथमिक पहचान के लिए**: आपका आधार कार्ड। (सुप्रिम कोर्ट के दिनांक 08.09.2025 के आदेश द्वारा अनिवार्य)।
- **नोट:** इन बुनियादी दस्तावेज़ों का पूर्ण क़ानूनी महत्व है। स्थानीय EROs के पास इन्हें अस्वीकार करने का कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के ये तीन महत्वपूर्ण आदेश इस हैंडबुक के उन अनुलग्नकों (Annexures) का हिस्सा हैं, जो अब ECI की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं; इन्हें हमारी वेबसाइटों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त किया जा सकता है:

https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/04/Annex-2-SC-SIR-Order-dated-08-09-25- Bihar.pdf
https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/04/Annex-3-SC-SIR-Order-dated-19-01-2026-WB.pdf
https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/04/Annex-4-SC-SIR-SIR-Order-dated-25-02-2026-WB.pdf

पूरक रिकॉर्डों को व्यवस्थित करना

एक अभेद्य और सुव्यवस्थित सुरक्षा कवच का निर्माण

हालांकि आधार और माध्यमिक (माध्यमिक विद्यालय) की मार्कशीट आपकी प्राथमिक सुरक्षा हैं, एक मज़बूत पूरक फ़ाइल किसी भी प्रकार के प्रशासनिक बहाने की गुंजाइश को समाप्त कर देती है। एक स्पष्ट टाइमलाइन इस प्रकार व्यवस्थित करें:

- 1987 से पहले जारी किए गए पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
- हाल के, लगातार आने वाले यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड (येलो कार्ड), या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।*
- पासपोर्ट, बैंक पासबुक, या पंजीकृत किराया समझौते।
- एक सुव्यवस्थित फ़ाइल समीक्षा करने वाले अधिकारी को आपके निवास के एक निर्विवाद, दस्तावेज़ित तथ्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है।

** आबादी का एक बड़ा हिस्सा किराए के या किसी अन्य प्रकार से आवंटित घरों में रहता है, या फिर बेघर ही है- ऐसे में वे क्या सबूत दे सकते हैं?*

दुर्भावनापूर्ण आपत्तियों का मुकाबला

फ़ॉर्म 7 का हथियार के तौर पर इस्तेमाल

- **ख़तरा:** फ़ॉर्म 7 का इस्तेमाल अक्सर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वैध मतदाताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में झूठी आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जाता है। (संगठित राजनीतिक तत्व इस तरह से कमज़ोर और हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बना रहे हैं)
- **ज़मीनी हकीकत:** जांच में ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने दर्जनों झूठी आपत्तियां दर्ज की हैं; ऐसे हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें आपत्ति दर्ज करने वाला व्यक्ति लिख भी नहीं सकता; और तो और, जीवित लोगों को भी "मृत" घोषित कर दिया गया है।
- **आपका पूर्ण अधिकार:** यदि आपको मिला नोटिस फ़ॉर्म 7 से संबंधित है, तो आपके पास यह क़ानूनी अधिकार है कि आप उस व्यक्ति का सही नाम और विवरण मांग सकें, जिसने आपके ख़िलाफ़ यह आपत्ति दर्ज की है।

नोट:

i. अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए, जिसकी ओर से वह प्रतिनिधित्व कर रहा है (फ़ॉर्म 7 हटाने की मांग के मामले में)।

ii. ECI द्वारा मतदाता को भेजे गए नोटिस की एक प्रति, और आपत्ति की एक प्रति की मांग करें, ताकि उस व्यक्ति की पहचान पता चल सके जिसने नाम हटाने का अनुरोध किया है; साथ ही मांग करें: a) संबंधित अधिकारी द्वारा की गई जांच की एक प्रति, जिसने नाम हटाने का आदेश दिया था, b) RP Act 1950 की धारा 22 (c) और नियम 21 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के पालन का विवरण, और c) धारा 21 (c) के तहत नाम हटाने के आदेश की एक प्रति। सुनिश्चित करें कि आप सुनवाई के लिए Electors Rules, 1960 के नियम 21 A की एक प्रति अपने साथ ले जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करें।

<u>काउंटर स्ट्राइक : झूठे दावों को नाकाम करना</u>

धोखाधड़ी करने वाले आपत्तिकर्ताओं के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करना

- **क़ानून आपके पक्ष में है:** झूठा बयान देना या गलत आपत्ति दर्ज करना एक अपराध है, जिसके लिए Representation of People Act, 1950 की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।
- **कार्रवाई करना:** झूठी आपत्ति दर्ज करने वालों को छिपने न दें। हम आपको कानूनी नोटिस भेजने और उन लोगों के खिलाफ औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करने में सहायता करेंगे जो आपके मतदान अधिकार छीनने का प्रयास करते हैं।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

अपनी बात सुने जाने के पूर्ण अधिकार की मांग

- संवैधानिक क़ानून यह निर्धारित करता है कि राज्य किसी नागरिक को, बिना किसी निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई के, उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। आपकी बात सुने और दर्ज किए बिना, आपको सूची से हटाया नहीं जा सकता।
- निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) क़ानूनी रूप से इस बात के लिए बाध्य है कि वह आपके दस्तावेज़ों की जांच धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष होकर करे।
- सुनवाई एक क़ानूनी प्रक्रिया है। इसमें आपकी आवाज़, आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल साक्ष्य ही अंतिम निर्णय को निर्धारित करते हैं।

सुनवाई की प्रक्रिया

अपनी बात पर कायम रहना: क्या उम्मीद करें

- **अधिकृत प्रतिनिधित्व:** सुप्रीम कोर्ट (19 जनवरी, 2026) ने साफ़ तौर पर निर्देश दिया है कि आपको इस स्थिति का सामना अकेले नहीं करना है। आप दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं और किसी अधिकृत प्रतिनिधि या बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।
- **तैयार रहें:** अपने मूल दस्तावेज़ों और उनकी स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी का एक सेट साथ लेकर आएं, ताकि उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए जमा किया जा सके।
- सीधे अपने दस्तावेज़ों की ओर इशारा करें। अपने तथ्यों को सरल और ईमानदारी से प्रस्तुत करें।

विसंगतियों को शालीनता से दूर करना

प्रणालीगत त्रुटियों के लिए दंडित होने से इनकार करना

- अधिकारी अक्सर अनुवादित उपनाम में एक अक्षर की गलती या उम्र के अंतर संबंधी त्रुटि जैसी छोटी-मोटी विसंगतियों को अस्वीकृति का आधार बनाने का प्रयास करते हैं।
- इन्हें स्पष्ट रूप से सॉफ़्टवेयर अनुवाद त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटियां बताएं। न्यायाधिकरण को याद दिलाएं कि प्रशासनिक टाइपो किसी मानव जीवन को अमान्य नहीं ठहराता।
- इन छोटी-मोटी कमियों को दूर करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करें और मांग करें कि इसे आधिकारिक अभिलेख में दर्ज किया जाए।

ज़मीनी हक़ीक़त को समझना

मुश्किल या दबाव वाले माहौल से निपटना

- यह समझें कि बूथ स्तरीय अधिकारी (BLOs) और स्थानीय कर्मचारी बहुत ज़्यादा, थकाने वाले प्रशासनिक दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
- अपने संवैधानिक अधिकारों के मामले में एक गरिमापूर्ण, सहयोगपूर्ण, लेकिन बिल्कुल भी समझौता न करने वाला रवैया बनाए रखें।
- **प्रोटोकॉल:** अगर कोई अधिकारी वैध, SC-द्वारा अनिवार्य दस्तावेज़ों को स्वीकार करने से मना करता है, तो विनम्रता से लेकिन मज़बूती से मांग करें कि वे अपनी अस्वीकृति और उसका कानूनी कारण लिखित रूप में दें।

अपील का पहला चरण

ग़लत तरीक़े से नाम हटाए जाने के ख़िलाफ़ लड़ाई: पहली अपील

- यदि ERO (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) ग़लत तरीक़े से आपके सत्यापन को अस्वीकार कर देता है और आपका नाम हटा देता है, तो क़ानूनी तौर पर उसे एक "स्पष्ट/तर्कसंगत आदेश" जारी करना अनिवार्य है।
- **पहली अपील: यदि** आपका नाम मनमाने ढंग से हटा दिया जाता है, तो नियम 23 के तहत आपके पास तत्काल यह अधिकार है कि आप ज़िला मजिस्ट्रेट (DM)/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक औपचारिक 'अपील ज्ञापन' (Memorandum of Appeal) प्रस्तुत करें।
- यह अपील औपचारिक रूप से 'प्राकृतिक न्याय' के उल्लंघन को चुनौती देती है और आपके नाम की तत्काल बहाली की मांग करती है।

अपील का दूसरा स्तर

उच्चतम स्तरों तक पहुंचना: न्यायिक सुरक्षा कवच

- यदि ज़िला मजिस्ट्रेट आपके अधिकारों को बहाल करने में विफल रहते हैं, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास दूसरी अपील दायर की जानी चाहिए।
- **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (10 मार्च, 2026):** SIR में मौजूद गंभीर खामियों को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अपीलीय निकायों के गठन का निर्देश दिया है, जिनमें उच्च न्यायालय के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश शामिल होंगे। इन निकायों का गठन विशेष रूप से उन मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के लिए किया गया है, जिनकी उम्मीदवारी या आवेदन ग़लत तरीक़े से ख़ारिज कर दिए गए थे।

सतर्क रहना और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा करना

सामुदायिक बचाव और लगातार निगरानी

- **सबूत की मांग करें:** सुनवाई से कभी भी बिना किसी आधिकारिक, हस्ताक्षरित पावती रसीद के न निकलें।
- **सामुदायिक एकजुटता:** बुज़ुर्गों, दिहाड़ी मज़दूरों और कम पढ़े-लिखे लोगों को उनके मूल दस्तावेज़ इकट्ठा करने और सुनवाई में शामिल होने में सक्रिय रूप से मदद करें।

- **पूरक सूचियां:** सुप्रीम कोर्ट (24 फरवरी, 2026) ने आदेश दिया है कि सत्यापित मतदाताओं को शामिल करने के लिए पूरक सूचियां लगातार प्रकाशित की जाएं। जब तक आपका नाम सुरक्षित न हो जाए, तब तक ऑनलाइन पोर्टल पर नज़र बनाए रखें।

मेरा वोट, मेरा अधिकार

इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं

प्रशासन की मुश्किल प्रक्रियाओं से जूझना और वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के अपने मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष करना, बेहद तनावपूर्ण होता है। जब आपको व्यवस्था से जुड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो खुद को अलग-थलग महसूस करना, गुस्सा आना या घबराहट होना- पूरी तरह से सामान्य बात है।

अगर आपको अब भी जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है और घबराहट हो रही है, तो हमसे यहां संपर्क करें:

- **फ़ोन: +91 75066 61171**
- **Email: votefordemoc@gmail.com | info@cjp.org.in**

हम आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए हमेशा आपके साथ हैं।

स्वीकार्य दस्तावेज़ों की आधिकारिक सूची

अपनी सुनवाई के लिए, इन वैध प्रमाणों में से किसी भी एक की स्व-प्रमाणित (Self-Attested) प्रतियां साथ लाएं:

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण, स्वीकार्य दस्तावेज़ों की सूची का विस्तार किया गया है। इस सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/LIC/PSU द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC/SC/ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी यह मौजूद है)।
10. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया फैमिली रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के निर्देश जो पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) के माध्यम से जारी किए गए हैं, लागू होंगे। (नोट: इसे बिहार SIR में स्वीकार नहीं किया गया था)।
13. माध्यमिक (कक्षा-10) प्रवेश पत्र या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (SC द्वारा दिनांक 19.01.2026 के आदेश के माध्यम से अनिवार्य किया गया)।

वास्तविक एजेंडा: एक असंवैधानिक अतिक्रमण | शीर्षक: सत्तावादी प्रवृत्तियों और कार्यों के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा

- **संस्थागत दायित्व का त्याग:** ECI ने खुद को क़ानून से ऊपर मान लिया है। 11 दस्तावेज़ों की मांग करके और अनधिकृत गणना फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके, वे 'मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 8 और 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, और अनुच्छेद 327 और 328 के विधायी निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं।

- **हाशिए पर पड़े लोगों को निशाना बनाना**: स्थानीय अधिकारियों की जगह केंद्रीकृत नोटिसों के ज़रिए मतदाताओं को अचानक बड़े पैमाने पर सूची से हटाना एक स्पष्ट रणनीति को उजागर करता है: अल्पसंख्यकों, SC/STs और हाशिए पर पड़े लोगों को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना। यह मध्ययुगीन प्रथाओं की ओर एक कदम है।
- **सत्तावाद के संकेतक:** इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी, अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला, नेतृत्व द्वारा अपमानजनक आचरण, आधार को अवैध रूप से अस्वीकार करना (RPA 1950 की धारा 23 का उल्लंघन), और आधिकारिक संचार पर बाहरी पक्षपातपूर्ण प्रतीकों का इस्तेमाल- ये सभी एक ऐसी संस्था के स्पष्ट संकेत हैं जिसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
- **अंतिम लक्ष्य:** ECI के अपने ही सॉफ्टवेयर से पैदा हुई विसंगतियों, टाइपिंग की गलतियों और बेमेल जानकारियों को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आपसे वोट देने का अधिकार छीना जा सके। इस फूट डालने वाले एजेंडे को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा! हमारी संविधान सभा ने, जिसने भारतीय संविधान में 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' को लागू करने से पहले उस पर बहस की थी, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसने एक जीवंत और समावेशी नागरिकता के उन बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित किया था, जिसे हमारे लोकतंत्र में पूरी भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए!

नोट

घोषणा प्रपत्र के लिए सूचना पत्र

आवेदकों को पिछली SIR मतदाता सूचियों, यानी 2003 की मतदाता सूचियों में अपना (या अपने रिश्तेदारों का) नाम ज़रूर देखना चाहिए। **हालांकि, जो समस्या सामने आई है, वह ECI की अस्पष्टता है; ECI ने इन सूचियों को आसानी से और मुफ़्त में, पढ़ने लायक फ़ॉर्मेट में उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे नामों और EPIC नंबरों को खोजना एक बहुत मुश्किल काम बन गया है।** ECI ने बस इतना कहा है कि घोषणा प्रपत्र भरने के लिए ये सूचियां https://voters.eci.gov.in/ पर उपलब्ध हैं। नागरिकों को मतदाता सूचियों तक आसानी से पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद, नागरिक समूहों और संगठनों ने SEC/CEC के स्थानीय कार्यालयों या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों आदि के माध्यम से इन सूचियों तक पहुंचने की कोशिश की है। अब - ECI की ज़िद भरी अस्पष्टता के कारण- मतदाता सूचियों तक पहुंचना, अनपढ़ और बिना दस्तावेज़ वाले नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है!

मौजूदा संदिग्ध व्यवस्था के तहत, यदि पिछली SIR की जानकारी "उपलब्ध नहीं है या मेल नहीं खाती है", तो ERO नोटिस जारी करेंगे। नोटिस मिलने पर, ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरतें काफ़ी हद तक उम्र पर निर्भर करती हैं:

- **01.07.1987 से पहले भारत में जन्म:** अपनी जन्म तिथि/जन्म स्थान साबित करने के लिए कोई भी मान्य दस्तावेज़ दें।
- **01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म:** अपने और अपने पिता या माता के दस्तावेज़ दें।
- **02.12.2004 के बाद भारत में जन्म:** अपने, अपने पिता के और अपनी माता के दस्तावेज़ दें। (यदि माता-पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है, तो जन्म के समय उनके मान्य पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति दें)।
- **भारत के बाहर जन्म:** विदेश में स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें।
- **पंजीकरण/नैचुरलाइज़ेशन (Naturalisation) द्वारा नागरिकता प्राप्त की:** नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और नागरिक समूहों के लिए आगे का रास्ता

उठाए जाने वाले क़दम

SIR के ख़तरनाक प्रभावों को कम करने के लिए, स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए:

- **वोटर सहायता केंद्र स्थापित करें:** पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर, हर ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर वोटर सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि नागरिकों को डिजिटल मैपिंग और दस्तावेज़ तैयार करने में मदद मिल सके।
- **दस्तावेज़ जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें:** केरल सरकार द्वारा स्थापित उदाहरण का पालन करते हुए, राज्य प्रशासनों को ऐसी प्रणालियां लागू करनी चाहिए जिनमें सख्त निर्देश हों, ताकि उन लोगों को आसानी से और तेज़ी से जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें जिनके पास पुराने दस्तावेज़ों की कमी है।

- **क्षमता निर्माण और जनसंपर्क:** जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने दिखाया है, मंत्रियों, विधायकों, बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLOs) और बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हर घर का दौरा करें, सही जानकारी फैलाएं और मतदाता सूची में योग्य नामों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें।

एक अनिवार्य सोशल ऑडिट की तत्काल आवश्यकता

केवल प्रशासनिक सहायता ही पर्याप्त नहीं है। राज्य चुनाव आयोगों पर व्यापक सोशल ऑडिट कराने के लिए पुरज़ोर दबाव डाला जाना चाहिए। मतदाता सूची में संशोधन खुले तौर पर, मिलकर और पूरी पारदर्शिता के साथ करने के लिए ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं की बैठकें बुलाई जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाएं। ओपन ऑडिट से फ़र्ज़ी वोटों का पता चलता है, जन जागरूकता बढ़ती है, और इस बात की गारंटी मिलती है कि कागज़ात की कमी के बहाने किसी भी असली मतदाता को सूची से बाहर न किया जाए।

जैसा कि पूर्व IAS अधिकारी एम.जी. देवसहायम ने *'द हिंदू'* (18 नवंबर, 2025) में उल्लेख किया है:

"मौजूदा SIR में सही नियमों, निगरानी,जांच-पड़ताल या ऑडिट की कमी है। इससे एक अनिवार्य सोशल ऑडिट की ज़रूरत सामने आती है... जिस देश में 30% से 40% रजिस्टर्ड वोटर वोट डालने आते ही नहीं हैं, वहां पूरी वोटिंग आबादी से यह उम्मीद करना कि वे वोटिंग लिस्ट में शामिल होने के लिए स्वयं आवेदन करें और दोबारा आवेदन करके मतदाता सूची में बने रहें-यह न तो न्यायसंगत है और न ही व्यावहारिक। उनसे मांगे गए दस्तावेज़ों की कॉपी के ज़रिए नागरिकता का नया सबूत पेश करने के लिए कहना, ECI द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ना है।"

इस तरह का एक सहभागी ऑडिट (participatory audit) 2003 में सीईसी जे एम लिंग्दोह के नेतृत्व में चुनाव आयोग और नागरिक समूहों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया था, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया था। केवल राजस्थान में, इस खुली ग्राम सभा/वार्ड सभा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 7 लाख से ज़्यादा सही सुधार हुए, जिससे यह साबित होता है कि विकेंद्रीकृत, समुदाय-नेतृत्व वाला सत्यापन ही आगे बढ़ने का सबसे लोकतांत्रिक रास्ता है।

लिंक: https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-need-for-a-social-audit-for-sir-20/article70290574.ece

अध्याय - 3

वंचित करने के तरीकेतकनीकें/

लक्षित व तकनीकी तरीक़े से मताधिकार से वंचित करना

1. **पुराने डेटा का बोझ:** 2002-2004 के SIR (मतदाता सूची) से नामों का मिलान करना नए मतदाताओं, प्रवासियों, या उन लोगों के लिए भारी बाधाएं खड़ी करता है जो अपने माता-पिता के 20 साल पुराने डेटा तक पहुंच नहीं बना पाते हैं।

2. **दस्तावेज़ों की पुरानी और मुश्किल शर्तें:** 01.07.1987 से पहले जारी किए गए दस्तावेज़ों की मांग करना (कुछ विशेष आयु-वर्गों के लिए) ग़रीब परिवारों के लिए एक बड़ी बाधा है।

3. **जटिल सूचना और सुनवाई प्रक्रियाएं**: दो दशक पहले वे कहां थे, इसे कानूनी रूप से साबित करने का भारी बोझ नागरिक पर डाल देना बेहद दमनकारी है।

4. **घर जाकर (Physical) सत्यापन में रुकावटें:** हालांकि ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन पूरा काम तीन बार BLO के घर-घर आने पर ही होता है। जो लोग बाहर काम करते हैं या अस्थायी तौर पर कहीं और रहते हैं, उनके लिए ये छोटा सा वेरिफिकेशन टाइम मिस हो जाने का ख़तरा बना रहता है।

मौजूदा SIR बनाम बिहार SIR

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात में चल रहे SIR (हैंडबुक में नीचे टाइमलाइन दी गई है) में, बिहार में पहले हुए प्रक्रिया की तुलना में थोड़ी ज़्यादा कड़ी निगरानी रखी जा रही है:

- **SIR नोटिस का चरण:** मौजूदा प्रक्रिया में औपचारिक तौर पर एक सीधा, जांच-पड़ताल वाला "नोटिस का चरण (जारी करना, सुनवाई और सत्यापन)" शामिल है, ताकि उन रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा सके जो मेल नहीं खाते; बिहार में यह चरण पूरी तरह से नदारद था।
- **उचित मापदंडों की जांच:** मौजूदा SIR के तहत, प्रकाशन से पहले ECI से अंतिम अनुमति लेने के लिए, "मतदाता सूचियों के उचित मापदंडों की कड़ी जांच" करना अनिवार्य है।
- **आधार की स्वीकार्यता:** अब कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दी गई है, जबकि बिहार में इसे पूरी तरह से अलग रखा गया था।

SIR की सुनवाई और नोटिस का हथियार के तौर पर इस्तेमाल और फ़ॉर्म 7 का दुरुपयोग

1. **फ़ॉर्म 7 का दुरुपयोग:** मतदाताओं पर ही ज़िम्मेदारी क्यों?

फ़ॉर्म 7 को ग़ैर-क़ानूनी रूप से शामिल किए गए नामों पर आपत्ति जताने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका व्यवस्थित रूप से अल्पसंख्यक मतदाताओं के ख़िललाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सबूत देने का बोझ पीड़ित नागरिक पर ही आ जाता है। हमारी असम टीम ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को रिकॉर्ड किया है:

- **गोलपारा टाउन:** कृष्णाई की नबा बाला राय नाम की एक महिला ने वैध मतदाताओं के ख़िलाफ़ 64 आपत्तियां दर्ज कीं। जब पीड़ितों ने उससे इस बारे में पूछा, तो उसने साफ़ इनकार कर दिया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी है। सबसे अहम बात यह है कि बाद में उसने असमिया भाषा में अपने हस्ताक्षर करके शिकायतें वापस ले लीं, जबकि मूल फ़ॉर्म 7 में उसके हस्ताक्षर अंग्रेज़ी में थे- एक ऐसी भाषा जिसे वह लिख भी नहीं सकती।
- **श्रीभूमि:** सलीम अहमद नाम के एक व्यक्ति ने अपने ही नाम के साथ-साथ 133 अन्य वास्तविक मतदाताओं के ख़िलाफ़ भी आपत्ति दर्ज की। बाद में उसने BLO सुमना चौधरी को बताया कि ये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत थे और उसने ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी।

2. **डेटा में सेंध (कामरूप):** प्रह्लाद बिस्वास, मृण्मय बोरो, बुद्धेश्वर राभा और मृदुल तालुकदार (सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी) ने बिना अनुमति के बोको-छायागांव स्थित सह-जिला आयुक्त के कार्यालय में प्रवेश किया और ECI के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तक बिना अनुमति के पहुंच बनाकर बड़े पैमाने पर आपत्तियां दर्ज कीं।

3. **मृत शिकायतकर्ता:** सत्यापित मामलों से पता चलता है कि आपत्तियां ऐसे व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई हैं जो अब जीवित नहीं हैं।

4. **क़ानूनी जवाबी कार्रवाई:** पाथरकांडी (श्रीभूमि) में 30 मतदाताओं के ख़िलाफ़ झूठी आपत्तियां दर्ज किए जाने के बाद, पीड़ितों ने वरिष्ठ वकील सुब्रत कुमार पाल के माध्यम से जिला प्रशासक, AERO, BLOs और आठ शिकायतकर्ताओं को कानूनी नोटिस भेजे।

नोट: घोषणा में गलत जानकारी देना Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है (एक वर्ष तक की क़ैद, या जुर्माना, या दोनों)। Citizens for Justice and Peace के हस्तक्षेप के माध्यम से लाखों झूठी शिकायतों को उजागर किया गया और क़ानूनी रूप से उनका मुक़ाबला किया गया।

अध्याय - 4

ECI ने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन कैसे किया

संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन

SIR, भारत के संविधान को बचाने के नाम पर उसका उल्लंघन करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके घोषित उद्देश्य बहुत आकर्षक थे: सभी की भागीदारी, किसी भी मतदाता को पीछे न छोड़ना (जिसमें शहरी, युवा और प्रवासी मतदाता शामिल हैं), और यह सुनिश्चित करना कि बिना किसी लिखित आदेश के किसी का भी नाम न हटाया जाए। हालांकि, बिहार में SIR के दौरान, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में, हमने पाया कि ये घोषणाएं महज़ एक धोखा थीं।

नाम हटाने का काम फ़र्ज़ी हस्ताक्षरों के ज़रिए किया गया; स्थानीय EROs/AEROs की जगह केंद्रीकृत स्रोतों से नोटिस भेजे गए; और नाम हटाने के कारणों को नागरिकों से पूरी तरह छिपाकर रखा गया, जिससे उन्हें न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा। मतदाता सूचियों में सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी ने स्वतंत्र मतदाता को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अधीन कर दिया है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया अस्पष्ट और असंवैधानिक हो गई है।

दलते मापदंड

जब हम बारीकी से देखते हैं कि ECI ने SIR को कैसे लागू किया है, तो यह बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि इसके नियम लगातार बदलते रहे हैं। बिहार में शुरुआती चरण-I के लागू होने से लेकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरण-II के बड़े विस्तार तक का सफ़र कोई आसान विस्तार नहीं था। इसके बजाय, इसमें बदलते लक्ष्य, बिखरे हुए नियम और जनता तथा न्यायपालिका के कड़े विरोध के बाद मापदंडों को बदलने की आपाधापी साफ़ दिखाई देती है।

2003 की प्रक्रिया बनाम 2025-2026 की हक़ीक़त

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के इस ज़ोर देने के बावजूद कि बिहार में 2025 का SIR- जिसने पूरे देश में इस प्रक्रिया का रास्ता खोला- 2003 की प्रक्रिया पर आधारित था, ऐतिहासिक दिशा-निर्देशों से पता चलता है कि ये दोनों प्रक्रियाएं बुनियादी तौर पर अलग हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिखित जवाब में इन साफ़ विसंगतियों को उजागर किया है।

तीन मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2025-2026 की प्रक्रिया 2003 की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग है:

1. समय-सीमा: 2003 का संशोधन छह महीनों (15 जुलाई, 2002 से 6 जनवरी, 2003 तक) में पूरी तरह से किया गया था, जिससे 2005 के राज्य चुनावों से काफी पहले ही पूरी तरह से सत्यापन सुनिश्चित हो गया था। इसके बिल्कुल विपरीत, 2025 का SIR (विशेष संशोधन) बिहार विधानसभा चुनावों से बस कुछ ही हफ़्ते पहले, महज़ तीन महीनों (24 जून से 30 सितंबर तक) में जल्दबाज़ी में पूरा कर दिया गया। ECI का यह दावा कि इस प्रक्रिया के "जल्दबाज़ी में" होने के आरोप "गलतफ़हमी पर आधारित" हैं, उसकी अपनी ही पिछली समय-सीमा के सामने बेबुनियाद साबित होता है।
2. आधार दस्तावेज़: 2003 के दिशा-निर्देशों में साफ़ तौर पर यह अनिवार्य किया गया था कि विशेष संशोधन में "मौजूदा मतदाता सूचियों को आधार बनाकर घर-घर जाकर सत्यापन करना शामिल होगा।"
3. EPIC की स्वीकार्यता: सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा मतदाता सूची और EPIC (इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र) ने 2003 की प्रक्रिया की नींव रखी थी। 2003 के नियमों में साफ़ तौर पर कहा गया था कि "नागरिकता तय करना गणना करने वाले का काम नहीं है" और गणना करने वालों को EPIC कार्ड पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, मौजूदा SIR में, ECI ने पात्रता साबित करने के लिए स्वीकार्य 11 दस्तावेज़ों की सूची से अपने ही वोटर ID कार्ड को बिना किसी स्पष्टीकरण के बाहर कर दिया, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे सूची में शामिल किए जाने का ज़ोरदार विरोध भी किया; ECI ने यह तर्क दिया कि ऐसा करने से नई सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया "बेकार" हो जाएगी।

संस्थागत ढांचे को कमजोर करना और मध्ययुगीन प्रथाओं की ओर बढ़ता कदम

SIR चुनावी सूची का शुद्धिकरण नहीं है; इसे जल्दबाजी और अपारदर्शी तरीक़े से अंजाम दिया गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार छीन लिए गए हैं। हालांकि इसका घोषित उद्देश्य "डुप्लीकेट, मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, जिनका पता न चल सके और गैर-नागरिक मतदाताओं को हटाकर" सूचियों को ठीक करना है, लेकिन इसकी असलियत कहीं ज़्यादा कपटपूर्ण है।

ECI ने दस बेहद आकर्षक विशेषताओं के साथ SIR को बढ़ावा दिया

1. सभी मतदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी।
2. बिहार में कोई भी योग्य वोटर पीछे न छूटे।
3. बिहार से कोई भी अस्थायी प्रवासी पीछे न छूटे।
4. कोई भी शहरी वोटर पीछे न छूटे।
5. कोई भी युवा वोटर पीछे न छूटे।
6. सभी मतदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की नियमित भागीदारी।
7. वॉलंटियर्स सहित पूरे इलेक्शन स्टाफ़ की मदद।
8. गणना चरण के दौरान उठाए गए किसी भी मुद्दे का समाधान।
9. 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक ड्राफ्ट रोल की जांच।
10. उचित कारणों का उल्लेख किए बिना प्रारूप मतदाता सूची किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।

हालांकि, बिहार में और अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम और चंडीगढ़ में इसे लागू करने के दौरान, ये वादे भ्रामक साबित हुए। फ़र्ज़ी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके नाम हटाए गए, स्थानीय AERO/RO को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करते हुए केंद्रीकृत स्रोतों से नोटिस जारी किए गए और नाम हटाने के कारणों को मतदाताओं से जान-बूझकर छिपाया गया, जिससे नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगानी पड़ी।

इसके अलावा, न्यायिक आदेशों के ज़रिए राजनीतिक दलों को मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया में आधिकारिक तौर पर शामिल करना, ECI के कर्तव्यों का भारी उल्लंघन है। यह स्वतंत्र मतदाता को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अधीन कर देता है, जिससे यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो जाती है और मौलिक रूप से असंवैधानिक बन जाती है।

कानूनी उल्लंघन और एल्गोरिथ्म आधारित बहाने

पूरी तरह से संविधान द्वारा अधिकृत संस्था ECI ने ऐसा बर्ताव किया है मानो वह क़ानून, विधायिका और न्यायपालिका से ऊपर हो।

- विधायी स्वीकृतियों के विपरीत एक अनाधिकृत गणना फ़ॉर्म पेश करके, इसने 'मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 8 का उल्लंघन किया है और अभी भी कर रहा है।
- सत्यापन का पूरा बोझ मतदाताओं पर डालकर और मनमाने पुराने दस्तावेज़ों की मांग करके, इसने नियम 9 के तहत अपने स्वयं के कर्तव्यों का त्याग कर दिया है।
- ECI ने धारा 16 के दंडात्मक सुरक्षा उपायों और नियम 21A के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार/नज़रअंदाज़ कर दिया है; ये नियम किसी भी नाम को सूची से हटाने से पहले सार्वजनिक सूचियों, नोटिसों और सुनवाई को अनिवार्य बनाते हैं।

इसके बजाय, ECI ने "तार्किक विसंगतियों"- सॉफ़्टवेयर की गड़बड़ियों, ग़लत वर्तनी और अनुवाद की ग़लतियों, जिन्हें ECI ने ख़ुद ही पैदा किया था- को वोट देने का अधिकार छीनने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया।

'टाइपोग्राफिकल गलतियोंके पीछे छिपी सच्चाई '- एक असमान जांच

मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ECI, शायद, ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है और अब भी शामिल है, जिन्हें प्रशासनिक कदाचार कहा जा सकता है। उन वैध रूप से पंजीकृत मतदाताओं को- जो ECI की अपनी ही ग़लतियों के कारण मतदाता सूची से बाहर रह गए थे- अपने अधिकार वापस पाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरने का निर्देश देने की प्रक्रिया मूल रूप से ही ग़लत है। फ़ॉर्म 6 पहली बार वोटर बनने वालों के लिए होता है और इसमें नागरिक को यह ग़लत घोषणा करनी पड़ती है कि वह पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कर रहा/रही है।

यह सवाल उठना चाहिए कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार को इस मामले में कानूनी जांच का सामना करना चाहिए। मतदाताओं को टाइपिंग की छोटी-मोटी ग़लतियों के लिए दंडित करना बेहद विडंबनापूर्ण है, जबकि कोई मशीन आसानी से उनका अपना नाम "Gnesh Kumar", "Ganesh Kumar" या "Gyanesh Kumar Gupta" लिख सकती है; ठीक वैसे ही जैसे वह चुनाव आयुक्तों Sukhbir Singh Sandhu (या Sukhbeer Singh Sandhu) और Dr. Vivek Joshi (या Veevak Joshi) के नामों को मनमाने ढंग से बदल सकती है। इसके अलावा, पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार न करना, 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 23 (4, 5, 6) का सीधा उल्लंघन है।

कुल मिलाकर, नामों को हटाने में अचानक आई तेज़ी एक साफ़ और फूट डालने वाले एजेंडे की ओर इशारा करती है यानी हाशिए पर पड़े समुदायों, अल्पसंख्यकों, SC/STs और प्रवासी मज़दूरों के मताधिकार को बड़े पैमाने पर छीन लेना। यह भारतीय लोकतंत्र का पीछे

की ओर बढ़ता कदम है, जो अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार के संबंध में संविधान सभा के सिद्धांत के साथ विश्वासघात करता है।

ECI का प्रेस नोट (संख्या. ECI/PN/206/2025 – 01.05.2025)

ECI की तीन नई पहलें:

- *वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से हासिल करना।*
- *BLOs को एक स्टैंडर्ड फ़ोटो ID मिलेगी।*
- *वोटर इन्फ़ॉर्मेशन स्लिप्स को वोटरों के लिए और ज़्यादा आसान बनाया जाएगा।*

अब कमीशन, 'वोटरों के पंजीकरण के नियम, 1960' के नियम 9 और 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969' की धारा 3(5)(b) के तहत, भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु पंजीकरण का डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से हासिल करेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि EROs को समय पर जानकारी मिल जाए, जिससे BLOs बिना किसी औपचारिक 'फ़ॉर्म 7' के अनुरोध का इंतज़ार किए, फ़ील्ड विज़िट के ज़रिए दोबारा जांच कर सकें।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ECI का ढांचा इस तरह बदला:

1. पात्रता तय करने की तारीखों में विरोधाभास

वोट देने का अधिकार किसे मिलेगा- यानी पात्रता की तारीख़- इसकी मूल बुनियाद ही दोनों चरणों के बीच पूरी तरह से बदल दी गई।

- **बिहार से शुरूआत:** जब जून 2025 में बिहार SIR की अधिसूचना जारी की गई, तो ECI ने पात्रता के लिए 1 जुलाई 2025 की एक बेहद असामान्य तारीख़ तय की। जो भी व्यक्ति इस मनमानी 'मध्य-वर्ष की कट-ऑफ़' तारीख़ के बाद 18 साल का हुआ या जिसने अपना निवास स्थान बदला, उसे शामिल होने के लिए एक अलग- और अक्सर ज़्यादा कठिन- मानदंड का सामना करना पड़ा।
- **12 राज्यों में विस्तार:** जब ECI ने अक्टूबर 2025 के अंत में दूसरे चरण के विस्तार की घोषणा की (जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल थे), तब उन्होंने अचानक ही 'मध्य-वर्ष की कट-ऑफ़' को ख़त्म कर दिया और 1 जनवरी 2026 की पारंपरिक वैधानिक तारीख़ पर वापस लौट आए। इस अचानक हुए बदलाव से एक ऐसा खंडित राष्ट्रीय ढ़ांचा तैयार हो गया, जिसमें अलग-अलग राज्यों के मतदाताओं की पात्रता का आकलन पूरी तरह से अलग-अलग समय-सीमाओं के आधार पर किया जाने लगा।

2. "आधार वर्षकी मनमानी व्यवस्था " (The "Base Year" Lottery)

SIR की मुख्य मांग यह है कि मौजूदा मतदाताओं को अपनी पहचान अपने राज्य के पिछले गहन पुनरीक्षण से जोड़ना होगा। हालांकि, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये संशोधन राज्यों के आधार पर अलग-अलग समय पर होते रहे हैं, इसलिए सबूत देने का बोझ एक भौगोलिक लॉटरी बन गया। बिहार में, मतदाताओं को ऐसे दस्तावेज़ ढ़ूंढ़ने के लिए मजबूर किया गया जो उन्हें विशेष रूप से 2003 की मतदाता सूची से जोड़ते हों। हालांकि, चरण-II वाले राज्यों के लिए, ECI ने निर्देश दिया कि मतदाता खुद को उस वर्ष से जोड़ें जिस वर्ष उनके राज्य में पिछली बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। इसका मतलब था कि पश्चिम बंगाल के किसी मतदाता को मध्य प्रदेश या केरल के किसी मतदाता की तुलना में पूरी तरह से अलग कालानुक्रमिक बाधा का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय नागरिकता को सत्यापित करने के लिए एक समान मानक का विचार पूरी तरह से ख़त्म हो गया।

3. सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दस्तावेज़ों की जल्दबाज़ी

सबसे बड़ा बदलाव इस बात को लेकर आया कि असल में कौन से दस्तावेज़ स्वीकार किए जाएंगे, और यह बदलाव सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि अदालतों को इसमें दखल देना पड़ा।

- **सख़्त शुरुआत:** बिहार SIR की शुरुआत में पुश्तैनी वंशावली के दस्तावेज़ों को लेकर बेहद सख़्त मांगें रखी गई थीं। लाखों वंचित मतदाता और पीढ़ियों से किराए पर रह रहे लोग घबरा गए, क्योंकि उनके पास 20 साल पुराने कागज़ात थे ही नहीं।
- **न्यायिक दखल:** कई विरोधों के बाद, जब विपक्षी पार्टियों और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी- यह तर्क देते हुए कि ECI असंवैधानिक रूप से मतदान का अधिकार रखने वाले नागरिकों पर ही अपनी पहचान साबित करने का बोझ डाल रहा है- तो ECI को झुकना पड़ा। कोर्ट ने बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार छीनने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी और आयोग से आग्रह किया कि वह आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले, मानक पहचान दस्तावेज़ों को स्वीकार करे।

- **रियायत:** इस दबाव के आगे झुकते हुए, ECI ने चरण-II से पहले कुछ बदलाव वाले आदेश जारी किए, और स्वीकार किए जाने वाले पहचान-संबंधी दस्तावेज़ों की सूची को आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया। उन्होंने आख़िरकार पहचान, माता-पिता के नाम और जन्म तिथि को साबित करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड (जैसे पीला कार्ड) और 10वीं कक्षा की मार्कशीट को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया। हालांकि, जैसा कि बाद में ग्राउंड रिपोर्टों से पता चला, इस "राहत" ने एक नई तरह की अफ़रा-तफ़री मचा दी; यहां तक कि 10वीं कक्षा की मार्कशीट और पुरानी मतदाता सूची में नाम की वर्तनी (spelling) में ज़रा सा भी अंतर होने पर, सॉफ़्टवेयर अपने आप ही SIR का नोटिस जारी कर देता था।

4. समय-सीमा का विफल होना

जैसा कि उम्मीद थी, इस प्रबंधकीय अव्यवस्था और लगातार बदलते मानदंडों के कारण ECI को बार-बार अपने ही समय-सीमा में बदलाव करना पड़ा। चरण-II की मूल योजना दिसंबर 2025 की शुरुआत तक ड्राफ़्ट रोल प्रकाशित करना था। ज़मीनी स्तर पर फैली अफ़रा-तफ़री को देखते हुए, ECI को ड्राफ़्ट के प्रकाशन की तारीख़ 16 दिसंबर तक आगे बढ़ानी पड़ी, दावों और आपत्तियों की अवधि को जनवरी तक बढ़ाना पड़ा और मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन में देरी करते हुए इसे फ़रवरी 2026 के मध्य तक ले जाना पड़ा।

नागरिकों पर ज़िम्मेदारी डालना

राज्यों में जारी SIR (मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण) भारत की समावेशी लोकतांत्रिक परंपराओं से एक परेशान करने वाला विचलन है, क्योंकि ECI (भारतीय निर्वाचन आयोग) प्रभावी रूप से नागरिकता साबित करने का बोझ पूरी तरह से मतदाताओं पर डाल देता है। ऐतिहासिक रूप से, ECI की ज़िम्मेदारी योग्य मतदाताओं को नामांकित करना और अनुच्छेद 326 में निहित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संवैधानिक गारंटी को बनाए रखना था। इस सिद्धांत के तहत- और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक लाल बाबू हुसैन (1995) फ़ैसले में फिर से पुष्टि की थी- जो व्यक्ति पहले से ही मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, उन्हें नागरिकता और पात्रता की कानूनी धारणा (legal presumption) का लाभ मिलता है।

हालांकि, मौजूदा SIR ढ़ांचा इस धारणा को पूरी तरह से उलट देता है। मौजूदा मतदाताओं से- जिनके पास पहले से ही वैध EPIC (मतदाता पहचान पत्र) हैं और जिन्होंने पिछले कई चुनावों में भाग लिया है- जटिल पुराने दस्तावेज़ (जैसे 2003 की मतदाता सूचियां या माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र) पेश करने की मांग करके, ECI मताधिकार प्राप्त नागरिकों को संदिग्ध मानकर बर्ताव कर रहा है।

हालांकि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 21 ECI को मतदाता सूचियों के संशोधन का "पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" करने का अधिकार देती है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से 'निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों' (EROs) को नागरिकता न्यायाधिकरणों के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं करती है।

इन मुश्किल और दस्तावेज़ के बोझ वाले मानदंडों को लागू करके, ECI गृह मंत्रालय जैसे स्थापित वैधानिक प्राधिकरणों को दरकिनार कर रहा है। वंचित और गरीब मतदाताओं पर अक्सर न पूरा होने वाला सबूतों का बोझ डालकर, ECI की मौजूदा कार्यप्रणाली अनुच्छेद 326 की समावेशी भावना को मौलिक रूप से कमज़ोर करती है- मतदान के अंतर्निहित अधिकार को एक अनिश्चित विशेषाधिकार में बदल देती है, जिसे बार-बार और बड़ी मुश्किल से साबित करना पड़ता है।

फ़ॉर्म की अनुपलब्धता: बिहार SIR में फ़ॉर्म की कमी का उदाहरण

SIR के दौरान प्रक्रियागत अनियमितताओं के स्पष्ट उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें सबसे खास है 2025 के मध्य में बिहार SIR के दौरान हुई घटना। उस दौरान एक बड़ी चूक यह थी कि ECI ने हर वोटर को गणना (एन्यूमरेशन) फ़ॉर्म की दो प्रतियां देने के अपने ही आदेश को चुपचाप नज़रअंदाज़ कर दिया था।

शुरुआत में, ECI ने एक प्रोटोकॉल बनाया था जिसमें कहा गया था कि हर वोटर को फ़ॉर्म की दो प्रतियां मिलेंगी, ताकि नागरिक सत्यापन के सबूत के तौर पर एक प्रति अपने पास रख सकें। हालांकि, इस ज़रूरी सुरक्षा उपाय को बिना किसी औपचारिक सूचना के चुपचाप खत्म कर दिया गया, जो ECI की अपनी ही तय प्रक्रियाओं का सीधा उल्लंघन था। SIR प्रक्रिया के मध्य से मिले लॉजिस्टिकल डेटा से इस प्रशासनिक विफलता के पैमाना पता चलता है:

- **ज़रूरी लक्ष्य:** हर वोटर को दो प्रतियां देने की ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए 15.8 करोड़ फ़ॉर्म छापे जाने ज़रूरी थे।
- **वास्तविक छपाई (10 जुलाई, 2025 तक):** सिर्फ़ 7.9 करोड़ फ़ॉर्म- जो ज़रूरी लक्ष्य का ठीक 50% थे- ही असल में छापे गए थे।
- **वितरण में कमी:** उसी तारीख़ तक ग्राउंड पर सिर्फ़ 7.71 करोड़ फ़ॉर्म (जो छपे हुए फ़ॉर्म के खेप का 98% थे) ही बांटे गए थे।

नतीजतन, ज़रूरी डुप्लीकेट फ़ॉर्म मिलने के बजाय, वोटरों को सिर्फ़ एक कॉपी दी गई। अपनी प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारियों को पूरा न करके, ECI ने असल में नागरिकों को गणना की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के किसी भी ठोस डॉक्यूमेंट्री सबूत से वंचित कर दिया, जिससे वे बिना वेरिफ़ाई किए नाम कटने के लिए बहुत कमज़ोर हो गए।

मैलवेयर/सॉफ़्टवेयर/ऐप में गड़बड़ियां

(यह संक्षिप्त विवरण काफ़ी हद तक रिपोर्टर कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है: नीचे दिए गए लिंक देखें)

SIR न केवल पुरानी और मुश्किल दस्तावेज़ों की मांगों से जूझ रहा है, बल्कि अपारदर्शी तकनीकी व्यवस्थाओं के कारण इसकी बुनियाद भी कमज़ोर हो गई है। 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की खोजी रिपोर्टों से यह खुलासा हुआ है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बिना जांचे-परखे सॉफ़्टवेयर, खराब एल्गोरिदम और ठीक से नियंत्रित न होने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करके, लाखों-करोड़ों वैध मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से "संदिग्ध" के तौर पर चिह्नित किया। मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के बजाय, इन डिजिटल गड़बड़ियों ने वैधानिक नियमों को दरकिनार कर दिया, बिना किसी सार्वजनिक निगरानी के काम किया, और सबूत देने का पूरा बोझ सबसे कमज़ोर नागरिकों पर डाल दिया। [2]

SIR के दौरान सामने आई मुख्य गड़बड़ियां और सॉफ़्टवेयर की विफलताएं इस प्रकार हैं:

- **डुप्लीकेशन हटाने वाले सॉफ्टवेयर को छोड़ देना (12 अक्टूबर, 2025):** बिहार SIR के दौरान प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन करते हुए, ECI ERONET डेटाबेस पर अपने धोखाधड़ी रोकने वाले मानक डुप्लीकेशन हटाने वाले मॉड्यूल को लागू करने में विफल रहा। इस चूक के कारण बिहार की अंतिम मतदाता सूची में 14.35 लाख से ज़्यादा संदिग्ध डुप्लीकेट एंट्रीज़ भर गईं, और काल्पनिक पतों पर बड़े पैमाने पर, सुनियोजित तरीके से किए गए पंजीकरणों को पकड़ने में विफलता मिली।

- **निजी संस्थाओं को मतदाता डेटा लीक (16 अक्टूबर, 2025):** जांच से पता चला कि ECI ने अपना बेहद संवेदनशील EPIC डेटाबेस (जिसमें तस्वीरें और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल थे) तेलंगाना राज्य सरकार के साथ साझा किया था। बाद में, निजी टेक कंपनियों ने इस डेटा को रियल-टाइम फेशियल रिकग्निशन और प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल किया, और ऐसा करते समय उन्होंने न तो गोपनीयता की कोई मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था रखी और न ही इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी दी।

- **मनमाने तरीक़े से ऐप लागू करना और यू-टर्न लेना (8 और 28 दिसंबर, 2025):** 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से यह बताने के बाद कि उसका मशीन-लर्निंग डुप्लीकेशन हटाने वाला सॉफ्टवेयर "दोषपूर्ण" था और उसे रद्द कर दिया गया था, ECI ने एक बड़ा यू-टर्न लिया। ठीक आठ दिन बाद, ECI ने 12 राज्यों में SIR के दूसरे चरण के बीच में ही चुपचाप उस एल्गोरिदम को फिर से सक्रिय कर दिया। एल्गोरिथ्म ने "डेमोग्राफिक रूप से समान प्रविष्टियों" की सूचियां अचानक से BLO ऐप पर डालनी शुरू कर दीं, जबकि बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLOs) को इस अचानक बढ़ी हुई संख्या को संभालने के लिए कोई लिखित प्रोटोकॉल, मैनुअल या मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) उपलब्ध नहीं कराई गई।

- **"मैपिंग" एल्गोरिदम का उथल-पुथल (6 जनवरी, 2026):** ECI ने बिना जांचा-परखा मैपिंग सॉफ्टवेयर लागू किया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को 2002-2003 की सूचियों से डिजिटल रूप से जोड़ना था। प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय, इस अस्पष्ट एल्गोरिदम ने रातों-रात 3.66 करोड़ मतदाताओं को संदेह के घेरे में डाल दिया। इसने तकनीकी रूप से पश्चिम बंगाल में 1.31 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.35 करोड़ (मसौदा सूची का लगभग 40%) मतदाताओं को कथित "तार्किक विसंगतियों" (जैसे कि परिवार की उम्र के अंतर में एल्गोरिदम की गलत गणनाएं) के लिए लाल चिन्ह लगा दी।

- **ट्रांसलिटरेशन की गड़बड़ियां और रहस्यमयी त्रुटियां (29 जनवरी, 2026) :** पश्चिम बंगाल में एल्गोरिदम से जुड़ी अधिकांश अराजकता दोषपूर्ण कंप्यूटर अनुवादों के कारण पैदा हुई थी। इस सॉफ़्टवेयर ने बिना जांचे-परखे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, 2002 की डिजिटाइज़ की गई वोटर लिस्ट को ज़बरदस्ती बंगाली से अंग्रेज़ी में बदल दिया। जब वोटरों की मौजूदा अंग्रेज़ी में दी गई जानकारी, सॉफ़्टवेयर के अपने-आप किए गए और गलत बंगाली उपनामों के अनुवाद से पूरी तरह मेल नहीं खाई, तो सिस्टम ने उन्हें "अनमैप्ड" संदिग्ध के तौर पर निशान लगा दिया।

[2] https://www.reporters-collective.in/trc/eci-misled-the-sc-on-sir-in-west-bengal; https://www.reporters-collective.in/trc/ecis-top-wb-officer-sent-orders-to-state-officials-on-whatsapp; https://www.reporters-collective.in/trc/ecis-software-branded-3-66-crore-voters-as-suspects; https://www.reporters-collective.in/trc/eci-pulls-a-u-turn-rolls-out-algorithms-midway-into-sir

- **WhatsApp के ज़रिए शैडो आईटी गवर्नेंस (8 फरवरी, 2026):** पूरा डिजिटल सिस्टम, गैर-औपचारिक और मनमाने निर्देशों के ज़रिए चलाया जा रहा था। ECI अक्सर रियल-टाइम में सॉफ्टवेयर के फ़ीचर्स को चालू या बंद करता रहता था, जिससे राज्य के अधिकारियों के काम करने का तरीक़ा पूरी तरह से बदल जाता था। प्रक्रिया में बदलाव लाने वाले ज़रूरी निर्देश, औपचारिक कानूनी आदेशों के बजाय, गैर-औपचारिक WhatsApp ग्रुप और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़मीनी स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाए जाते थे; जिससे नागरिक उन बदलते नियमों से पूरी तरह अनजान रह जाते थे, जो उनके वोट देने के अधिकारों को तय करते थे।

वोटर लिस्ट को "सुधार करने" की आड़ में इन डिजिटल टूल्स का मनमाना और गैर-ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल, असल में बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करने वाले एक मैकेनिकल फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है। एल्गोरिदम पर आधारित ऐसे फ़ैसले लागू करके, जो लिखने में हुई छोटी-मोटी गलतियों या बैकएंड में आई तकनीकी गड़बड़ियों को संदिग्ध धोखाधड़ी बता देते हैं, ECI का सॉफ़्टवेयर आर्किटेक्चर असल में स्वाभाविक लोकतांत्रिक जनादेश को ही कमज़ोर कर रहा है।

इन सॉफ़्टवेयर से जुड़ी गड़बड़ियों के बारे में मुख्य दस्तावेज़ों, ECI के अंदरूनी रिकॉर्ड और विस्तृत कार्यप्रणालियों की पूरी समीक्षा के लिए, आप सीधे 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' की चल रही खोजी रिपोर्ट की इस सीरीज़ को देख सकते हैं:

https://www.reporters-collective.in/trc/voter-registration-in-wb-as-it-deemed-fit

SIR और ECI द्वारा राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा को लेकर चिंताएं

निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, मतदाता सूचियों के हाल ही में संपन्न 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के ठीक बाद हुई है- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने और मतदाताओं के पास दावे व आपत्तियां दर्ज करने के लिए उपलब्ध समय की कमी को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा की हैं।

15 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 824 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 17.4 करोड़ मतदाता चुनावों में हिस्सा लेंगे। मतदान असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को; तमिलनाडु में 23 अप्रैल को; और पश्चिम बंगाल में दो चरणों में- 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को- निर्धारित है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

हालांकि आयोग ने SIR प्रक्रिया में शामिल बूथ स्तरीय अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया ही विवादों में घिर गई है-विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने के आरोप लगाए हैं और इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

कई राज्यों में CJP के ज़मीनी तौर पर दस्तावेज़ तैयार करने के संदर्भ में, इन चुनावों का समय SIR प्रक्रिया की जांच के महत्व को दर्शाता है- विशेष रूप से दावों और आपत्तियों की अवधि, SIR नोटिस जारी करना, और सुनवाई का संचालन- जहां कम समय-सीमा और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण, प्रशासनिक संशोधन के बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार से वंचित होने का जोखिम बना रहता है।

अध्याय - 5

समय-सीमाएं, दस्तावेज़ तैयार करना और सबूत का बोझ

ECI अधिसूचना (27 अक्टूबर, 2025) और कई बार पुनर्निर्धारण;

ECI अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 2026
और ECI द्वारा बार-बार समय बदलना

State	West Bengal	Assam	Tamil Nadu	Uttar Pradesh	Gujarat
Qualifying Dates	01.01.2002	01.01.2026	01.01.2002 (197 ACs) & 01.01.2005 (37 ACs)	01.01.2003	01.01.2002
SIR/SR Notification	27.10.2025	17.11.2025	27.10.2025	27.10.2025	27.10.2025
Enumeration Period	04.11.2025 To 04.12.2025	22.11.2025 To 20.12.2025	04.11.2025 To 04.12.2025	04.11.2025 To 04.12.2025	04.11.2025 To 04.12.2025
Publication of draft electoral roll	09.12.2025	27.12.2025	09.12.2025	09.12.2025	09.12.2025
Period for filing claims & objections	09.12.2025 To 08.01.2026 Extended till – 15.01.2026 Extended till 19.01.2026 Extended ill – 07.02.2026 Extended till – 14.02.2026	27.12.2025 To 22.01.2026	09.12.2025 To 08.01.2026	09.12.2025 To 08.01.2026 Extended till – 06.02.2026 Extended till – 27.03.2026	09.12.2025 To 08.01.2026
Notice Phase (Issuance, hearing & verification **NOT IN BIHAR SIR**	09.12.2025 To 08.01.2026 Extended till – 15.01.2026 Extended till 19.01.2026 Extended ill – 07.02.2026 Extended till – 14.02.2026	27.12.2025 To 22.01.2026	09.12.2025 To 08.01.2026	09.12.2025 To 08.01.2026	09.12.2025 To 08.01.2026

Checking of health parameters of electoral rolls and obtaining Commission's permission for final publication **NOT IN BIHAR SIR**	03.02.2026 Extended till 27.02.2026	06.02.2026	03.02.2026	03.02.2026 Extended till – 03.04.2026	03.02.2026
Final Publication of Electoral Roll	07.02.2026 Revised – 28.02.2026	10.02.2026	07.02.2026	07.02.2026 Revised – 10.04.2026	07.02.2026
Revised Schedule on 30.11.2025	Extended 1 Week		Extended 1 Week	Extended 1 Week	Extended 1 Week
	First Revised SIR Schedule on 11.12.2025				
Revised Enumeration Period			By 14.12.2025	By 26.12.2025	By 14.12.2025
Revised Date of Publication of Draft Roll			On 19.12.2025	On 31.12.2025	On 19.12.2025

पश्चिम बंगाल: मानवीय नुकसान

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया (अंतिम 2025 -शुरुआती 2026) के दौरान आत्महत्या की दुखद खबरें सामने आई हैं। इन मामलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: वे मतदाता जिन्हें अपना मताधिकार छिन जाने का डर था, और वे BLOs जो काम के काफ़ी दबाव के कारण टूट गए। फरवरी 2026 तक, नेताओं ने 110 से 160 मौतों के आंकड़े बताए हैं।

पश्चिम बंगाल SIR नोटिस के मुख्य बिंदु

- 1.40 करोड़ लोगों को दस्तावेज़ों के सत्यापन के उद्देश्य से नोटिस जारी किए गए हैं।
- इन नोटिसों को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है:
    1. मैप्ड (Mapped), यानी मतदाताओं की वह श्रेणी, जो 2002 के SIR से जुड़ी हुई है;
    2. अनमैप्ड (Unmapped), यानी मतदाताओं की वह श्रेणी, जो 2002 के SIR से नहीं जुड़ी हुई है; और
    3. तीसरी श्रेणी में तार्किक विसंगतियां (logical discrepancies) शामिल हैं, जिसमें लगभग 1.36 करोड़ मतदाता आते हैं।
- रिकॉर्ड में लाए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में, अन्य बातों के अलावा, पिता के नाम का मेल न खाना, माता-पिता की उम्र का मेल न खाना, माता-पिता की उम्र में 50 वर्ष से अधिक का अंतर होना, दादा-दादी/नाना-नानी की उम्र में 40 वर्ष से कम का अंतर होना, और छह से अधिक संतानें होना शामिल है।

19 जनवरी, 2026: ECI को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सुविधा देना है जो वर्तमान में 'तार्किक विसंगतियों' (logical discrepancies) की श्रेणी में शामिल हैं।

i. तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल व्यक्तियों के नाम ग्राम पंचायत भवनों, प्रत्येक तालुका (उप-मंडल) के सार्वजनिक स्थानों और ब्लॉक कार्यालयों में, साथ ही शहरी क्षेत्रों के शहरों में स्थित वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

ii. जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें अपने दस्तावेज़/आपत्तियां अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जमा करने की अनुमति होगी। ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि 'बूथ स्तरीय एजेंट' (BLA) भी हो सकता है। ऐसे प्रतिनिधि के पक्ष में एक 'अधिकार पत्र' (authority letter) होना अनिवार्य है, जिस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा हो।

iii. दस्तावेज़/आपत्तियां पंचायत भवनों या ब्लॉक कार्यालयों में जमा करने की अनुमति दी जा सकती है।

इसके अलावा, ECI को निर्देश दिया गया कि वह उन सभी लोगों के लिए निर्देश जारी करे, जिन्होंने अभी तक अपने दावे, दस्तावेज़ या आपत्तियां जमा नहीं की हैं, ताकि वे पंचायत भवनों/ब्लॉक कार्यालयों में सूचियां प्रदर्शित होने की तारीख़ से मिलने वाले अतिरिक्त 10 दिनों की बढ़ी हुई अवधि के भीतर ऐसा कर सकें। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि वह ECI को पंचायत भवनों/ब्लॉक कार्यालयों में तैनात करने के लिए पर्याप्त मैन-पावर उपलब्ध कराए, ताकि दस्तावेज़ों/आपत्तियों को सही तरीक़े से रखा जा सके और प्रभावित होने वाले लोगों की बात सुनी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी प्रभावित लोगों को दस्तावेज़, सामग्री या आपत्तियां जमा करने का अवसर दिए जाने के साथ-साथ, उचित निर्णय लेने के उद्देश्य से, उसी समय उनकी बात भी सुनी जाए- चाहे वे स्वयं उपस्थित हों या अपने साथ आए किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से। वह अधिकारी, जो दस्तावेज़ प्राप्त करेगा या प्रभावित लोगों की बात सुनेगा, वह दस्तावेज़ों की प्राप्ति और ऐसी सुनवाई के संपन्न होने को प्रमाणित भी कर सकता है।

न्यायालय ने ECI को आगे यह निर्देश दिया कि सुनवाई के दौरान माध्यमिक (कक्षा-10) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अलावा, माध्यमिक प्रवेश पत्र (Admit Card)- जिसमें अभ्यर्थी की जन्म तिथि अंकित होती है- भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

28.02.2026 के बाद पूरक सूचियां

सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी, 2026 के अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि यदि 'तार्किक विसंगति/अनमैप्ड श्रेणी' के संबंध में शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया 28.02.2026 तक अधूरी रहती है, तो ECI अंतिम सूची प्रकाशित कर सकता है, जिसके बाद अंतिम सूची के पूरक भी प्रकाशित किए जाएंगे। ये पूरक लगातार प्रकाशित किए जाएंगे, जैसे ही लंबित प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूरी तरह से पूरी हो जाएगी।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित किया कि बाद की पूरक सूचियों में सूचीबद्ध मतदाताओं को 28.02.2026 को प्रकाशित अंतिम सूची का ही हिस्सा माना जाएगा।

पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची और लंबित निर्णय

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। अंतिम सूची के अनुसार, राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या अब 6,44,52,609 हो गई है। साथ ही, सूची में यह भी दर्ज है कि 60,06,675 मतदाताओं की स्थिति को लेकर निर्णय अभी भी लंबित, जिसका मतलब है कि उन्हें सूची में शामिल करने या हटाने का फ़ैसला अभी भी आगे की जांच और निर्णय पर निर्भर है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मसौदा प्रकाशन के चरण के दौरान, मतदाताओं की कुल संख्या 7,08,16,630 थी। इस प्रक्रिया के तहत, अंतिम सूची से 5,46,053 नाम हटा दिए गए, जबकि मसौदा के चरण में ही 58,20,000 से ज़्यादा नाम पहले ही हटाए जा चुके थे। कुल मिलाकर, इस संशोधन प्रक्रिया के दौरान राज्य की मतदाता सूचियों से 63,66,952 नाम हटाए गए हैं।

दर्ज की गई घटनाएं:

1. **जहीर मल (28) - हावड़ा (उलुबेरिया):** एक दिहाड़ी मज़दूर, जिन्हें कथित तौर पर SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद देश से निकाले जाने या NRC का डर सता रहा था।
2. **शांति मुनि एक्का मल - जलपाईगुड़ी:** एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO), जिसने कथित तौर पर काम के दबाव और SIR की समय-सीमा से जुड़े तनाव के कारण आत्महत्या कर ली।
3. **57 वर्षीय व्यक्ति - अगरपारा:** अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट किया गया; उन्होंने एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने NRC/SIR से जुड़ी चिंता को अपनी मौत का कारण बताया।
4. **ख्रितिश मजूमदार (95) - बीरभूम**: दस्तावेज़ों के सत्यापन को लेकर हुए तनाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
5. **बिपन प्रमाणिक - सैंथिया (वार्ड 14), बीरभूम:** उन्हें अपने उपनाम (सरनेम) में विरोधाभास की समस्या का सामना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि BLOs (ज़्यादातर शिक्षक और सरकारी कर्मचारी) को "तीन साल का काम दो महीनों में" पूरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर मानसिक पीड़ा पैदा हो रहा है।

इसके अलावा, नामों को हटाने की सुनियोजित कोशिशें भी सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद ज़िले के जलांगी ब्लॉक के कालिकाहाट बूथ पर एक BJP कार्यकर्ता को फ़ॉर्म 7 का इस्तेमाल करके 70 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया।

डेटा प्रचलित धारणाओं को गलत साबित करता है: पश्चिम बंगाल के SIR पर SABAR इंस्टिट्यूट का अध्ययन

जहां उत्तर प्रदेश के अलग-अलग केस स्टडी SIR प्रक्रिया के सूक्ष्म-स्तरीय मानसिक पीड़ा को उजागर करते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल के व्यापक-स्तरीय डेटा इस क़वायद की व्यापक व्यवस्थागत विसंगतियों को बेनकाब करते हैं। कोलकाता स्थित SABAR इंस्टिट्यूट के दिसंबर 2025 के एक अहम अध्ययन ने पश्चिम बंगाल के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) के पहले चरण का विश्लेषण किया- जिसके परिणामस्वरूप राज्य की मसौदा मतदाता सूची से 58 लाख मतदाताओं के नाम चौंकाने वाली संख्या में हटा दिए गए। उनके निष्कर्ष मतदाता मैपिंग, जनसांख्यिकी और कथित "घुसपैठ" के इर्द-गिर्द प्रचलित राजनीतिक धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं।

अल्पसंख्यक आबादी और बिना पहचान वाले मतदाताओं के बीच विपरीत संबंध

SABAR इंस्टिट्यूट का विश्लेषण एक स्पष्ट, डेटा-समर्थित पैटर्न दिखाता है: जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां असल में बिना पहचान वाले मतदाताओं का हिस्सा कम है।

- **उच्च स्तर की अनमैप्ड निर्वाचन क्षेत्र:** जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में बिना पहचान वाली आबादी का हिस्सा सबसे ज़्यादा है (मुख्य रूप से कोलकाता, उत्तर 24 परगना और हावड़ा में, जिनमें भवानीपुर, राशबिहारी, बनगांव उत्तर और अशोकनगर शामिल हैं), वहां मुस्लिम आबादी का औसत सिर्फ़ 13.75% है। यह राज्य की जनगणना के औसत 27% से काफ़ी कम है।
- **निम्न स्तर की अनमैप्ड निर्वाचन क्षेत्र:** इसके विपरीत, जिन 20 क्षेत्रों में बिना पहचान वाले मतदाताओं का हिस्सा सबसे कम है- जैसे डोमकल (लगभग 85% मुस्लिम), सूती, हरिहरपारा, रतुआ और सुजापुर- वहां मुस्लिम आबादी का औसत लगभग 40% है।

"'घुसपैठिए' के भ्रम का पर्दाफ़ाश"

SABAR इंस्टिट्यूट के शोधकर्ता आशिम चक्रवर्ती के अनुसार, यह डेटा उस वर्षों पुरानी और हावी राजनीतिक बयानबाज़ी को सीधे तौर पर चुनौती देता है, जिसमें यह दावा किया जाता रहा है कि "मुस्लिम घुसपैठिए" पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से मतदान कर रहे हैं। सबूत स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के पास बड़े पैमाने पर आवश्यक दस्तावेज़ हैं, जो उन्हें मतदाता-मानचित्रण प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर बाहर किए जाने से सुरक्षित रखते हैं।

वास्तविक पीड़ित: पुराना डेटा और मतुआ समुदाय

SABAR इंस्टिट्यूट की स्टडी से यह पता चलता है कि SIR की सख़्त दस्तावेज़ों की मांगों का सबसे ज़्यादा असर वास्तव में किस पर पड़ रहा है। डेटा दिखाता है कि मतुआ समुदाय- वंचित सामाजिक समूह जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेश से आए नमाशूद्र हिंदू शरणार्थी शामिल हैं- उन मतदाताओं में बहुत ज़्यादा संख्या में शामिल है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मुख्य रूप से उत्तरी 24 परगना और नाडिया ज़िलों में रहने वाले मतुआ लोगों को ठीक उसी कमज़ोरी के लिए सज़ा मिल रही है जो पूर्वांचल के किराएदार परिवारों में देखी गई थी यानी पुराने डेटा की व्यवस्थागत कमी।

SIR के तहत जल्द ही वोट देने का अधिकार छिन जाने के डर से, इस कमज़ोर समुदाय पर 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ताकि वे बस अपने वोट देने के अधिकार को सुरक्षित रख सकें। SABAR इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट हमारी बात को और पुष्ट करती है। इसमें साफ़ कहा गया है कि SIR की प्रक्रिया बहुत ही मशीन जैसी और सख्त है, जिससे पुरानी वजहों से विस्थापित और गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सूची से जुड़ी चुनौतियों के लिए अपीलीय निकाय बनाने का निर्देश दिया

ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपीलीय तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि उन लोगों की चुनौतियों को सुना जा सके जिनके नाम सत्यापन प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने भारत के चुनाव आयोग से इस अपीलीय निकाय के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी करने को कहा। इस तंत्र में हाई कोर्ट के पूर्व या मौजूदा जज शामिल होंगे, और इसका मक़सद मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से उपजे ख़ारिज दावों को चुनौती देने के लिए एक व्यवस्थित मंच उपलब्ध कराना है।

कोर्ट ने ग़ौर किया कि सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है और बड़ी संख्या में दावों और आपत्तियों की जांच न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। कोर्ट के सामने पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, मार्च की शुरुआत तक 10 लाख से ज़्यादा आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका था; इस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के 500 से ज़्यादा और पड़ोसी राज्यों के लगभग 200 न्यायिक अधिकारी लगे हुए थे, जो जांच पूरी करने के लिए अक्सर तय समय से ज़्यादा काम कर रहे थे। बेंच ने इस प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए, जिनमें सत्यापन पोर्टल में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करना, अधिकारियों को व्यवस्थागत सहायता प्रदान करना और सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान अपीलीय निकाय को खारिज दावों के ख़िलाफ़ चुनौतियों की सुनवाई करने में सक्षम बनाना शामिल है।

BLO की आत्महत्या और असहनीय दबाव

काम पूरा करने की सख़्त समय-सीमाओं ने ज़मीनी स्तर के प्रशासन को बिल्कुल दबाव की स्थित में पहुंचा दिया है। जैसा कि पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्टों में बताया गया है, BLOs उन असंभव पाबंदियों के बीच पुराने डेटा को व्यवस्थित करने के आदेश के दबाव में टूट रहे हैं; जिसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि चुनावी मोर्चे पर काम करने वाले कर्मचारियों की दुखद तरीक़े से जान जा रही है।

Sabrang India Article Link: https://sabrangindia.in/the-deadly-deadline-i-cant-do-this-anymore-indias-electoral-revision-turns-into-a-graveyard-for-blos-teachers/

पश्चिम बंगाल: ऑनलाइन काम के बोझ का संकट

BLO की आत्महत्या के मामले (नवंबर 2025 – मार्च 2026)

- **रिंकू तरफदार (नादिया):** 51 साल की पैरा-टीचर और BLO, जो 21 नवंबर 2025 को फंदे से लटकी मिलीं।
  - **सुसाइड नोट:** उन्होंने साफ़ तौर पर चुनाव आयोग (EC) को दोषी ठहराते हुए लिखा, "मैं इस अमानवीय काम का दबाव और नहीं झेल सकती।" उन्होंने बताया कि उन्होंने 95% ऑफ़लाइन काम पूरा कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन अपलोडिंग का काम उनसे संभल नहीं पा रहा था।
  - **स्थिति:** डिजिटल एंट्री में मदद के लिए गुहार लगाने के बावजूद, उन्हें अपने सीनियर अधिकारियों से अपमान झेलना पड़ा।
- **शांतिमोनी एक्का (जलपाईगुड़ी):** 48 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और BLO, जिन्होंने 19 नवंबर 2025 को अपनी जान दे दी।
  - **वजह:** दोहरी जिम्मेदारियों (ICDS और SIR) और भाषा की भारी रुकावट से परेशान थीं- फ़ॉर्म बंगाली में थे, जबकि उनका इलाका मुख्य रूप से हिंदी बोलने वाला था। BLO की ड्यूटी से इस्तीफ़ा देने की उनकी गुज़ारिश को ठुकरा दिया गया था।

उत्तर प्रदेश:

- **सुधीर कुमार कोरी (फतेहपुर):** 25 वर्षीय राजस्व क्लर्क (लेखपाल) और SIR सुपरवाइज़र, जिन्होंने 25 नवंबर, 2025 को- अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले- आत्महत्या कर ली।
  - **कारण:** उन्हें अपनी शादी के लिए बार-बार छुट्टी देने से मना किया गया। ख़बरों के अनुसार, अपनी हल्दी की रस्म के दौरान एक मीटिंग में शामिल न होने पर उनके सुपरवाइज़र (कानूनगो) ने उन्हें निलंबित कर दिया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी।
- विपिन यादव (गोंडा): शिक्षा विभाग के एक क्लर्क और BLO, जो 25 नवंबर, 2025 को ज़हर खाने के बाद मृत पाए गए।
  - **आरोप:** उनकी पत्नी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि SIR लक्ष्यों (targets) को लेकर स्थानीय SDM और BDO द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था।
- अखिलेश कुमार सविता (फतेहपुर): 45 वर्षीय शिक्षा मित्र और BLO, जो 1 मार्च 2026 को एक क्लासरूम के अंदर मृत पाए गए।
  - **कारण:** कथित तौर पर, SDM और प्रखंड शिक्षा अधिकारी के पास बार-बार जाने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए छुट्टी नहीं दी गई।

गुजरात:

- अरविंद वढेर (गिर सोमनाथ): 40 वर्षीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जिन्होंने 21 नवंबर, 2025 को आत्महत्या कर ली।
  - **सुसाइड नोट:** अपनी पत्नी को संबोधित इस नोट में लिखा था; "मैं अब यह 'SIR' (सरकारी) काम और नहीं कर सकता... मैं लगातार थका हुआ और मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस कर रहा हूँ।"
  - **विडंबना:** ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वे "बेहतर काम करने वाले BLO" थे, जिन्होंने अपना 40% काम पहले ही पूरा कर लिया था; यह इस बात को दर्शाता है कि काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ।

केरल:

- अनीश जॉर्ज (कन्नूर): 44 वर्षीय स्कूल चपरासी और BLO, जो 16 नवंबर, 2025 को फंदे से लटके पाए गए।
    - **परिणाम:** उनकी मौत के बाद केरल में 35,000 BLOs ने पूरे राज्य में काम का बहिष्कार कर दिया।
    - **विवाद:** जहां एक ओर प्रशासन ने किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया, वहीं स्थानीय नेताओं और परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर बकाया फॉर्म जमा करने का "अत्यधिक दबाव" था और पहली बार BLO बनने के नाते उन्हें ज़मीनी स्तर की ज़िम्मेदारियां निभाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था।

तमिलनाडु: डिजिटल एंट्री की समय-सीमाएं

- **ज़ाहिदा बेगम (कल्लाकुरिची):** एक BLO, जिन्होंने काम के अत्यधिक बोझ और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण आत्महत्या कर ली; खराब कनेक्टिविटी की वजह से वे 800 SIR फॉर्म अपलोड नहीं कर पाई थीं।
- **चित्रा (तंजावुर):** 59 वर्षीय एक विधवा, जिन्होंने एक सख़्त समय-सीमा के भीतर एंट्रीज़ को डिजिटाइज़ न कर पाने पर निलंबन की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या का प्रयास किया।

संकट के मुख्य कारण

कारक	विवरण
कम की गई समय-सीमा	जो प्रक्रिया सामान्यतः 2-3 वर्ष लेती है, उसे केवल 2 महीनों की समय-सीमा में समेट दिया गया।
तकनीकी विफलताएं	BLOs को ऐसे ऐप्स (जैसे ECINet) इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनमें सर्वर क्रैश की समस्या थी; इस वजह से उन्हें देर रात तक अपना काम दोबारा करना पड़ता था।
दबावपूर्ण पर्यवेक्षण	लक्ष्यों को साधने के लिए निलंबन की धमकियों, FIRs और "कारण बताओ" नोटिसों का नियमित सहारा लेना।
भाषायी तालमेल की कमी	फ़ॉर्म ऐसी भाषाओं में उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिन्हें BLOs या स्थानीय लोग नहीं बोलते थे (उदाहरण के लिए, हिंदी भाषी क्षेत्रों में बंगाली फ़ॉर्म)।
दोहरी ज़िम्मेदारी	शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से यह अपेक्षा की गई थी कि वे क्षेत्र-स्तरीय गणना का कार्य करते हुए भी अपने नियमित कार्यों को जारी रखेंगे।

आत्महत्या के अलावा, कई BLO को तनाव से जुड़ी जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा:

- **नमिता हंसदार (पश्चिम बंगाल):** दिन-रात काम करने के बाद, 9 नवंबर 2025 को उन्हें जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक आया।
- **रमेशभाई परमार (गुजरात): 50** वर्षीय एक शिक्षक की सोते समय दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई; उनके परिवार ने इसका कारण SIR के "अत्यधिक काम के दबाव" को बताया।
- **उषाबेन (गुजरात):** वडोदरा के एक स्कूल में ड्यूटी पर रहते हुए वे अचानक गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

सबरंग लेख:

1. https://sabrangindia.in/sir-exercise-leaves-trail-of-suicide-across-states-as-blos-buckle-under-pressure-and-citizens-panic-over-citizenship/
2. https://sabrangindia.in/the-deadly-deadline-i-cant-do-this-anymore-indias-electoral-revision-turns-into-a-graveyard-for-blos-teachers/
3. https://sabrangindia.in/sir-exercise-leaves-trail-of-suicide-across-states-as-blos-buckle-under-pressure-and-citizens-panic-over-citizenship/
4. https://sabrangindia.in/haunted-by-nrc-fears-57-year-old-west-bengal-man-dies-by-suicide-mamata-blames-bjp-for-turning-democracy-into-a-theatre-of-fear/
5. https://sabrangindia.in/pregnant-woman-deported-despite-parents-on-2002-sir-rolls-another-homemaker-commits-suicide/

अध्याय - 6

राज्य-वार ग्राउंड रिपोर्ट और केस स्टडी

I. असम: विशेष पुनरीक्षण (SR) और लक्षित तरीक़े से बाहर करना

SR क्यों, SIR क्यों नहीं?

असम राज्य, सरकारों और प्रशासन का एक खास निशाना रहा है, क्योंकि यहां पहले हुए "नागरिकता" और "मतदाता परीक्षणों" के कारण आबादी के एक बड़े हिस्से को पहले से ही कई रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के बदनाम 'विदेशी ट्रिब्यूनलों' (Foreigner Tribunals) द्वारा जारी मनमाने, अक्सर बिना जांच-पड़ताल वाले और बड़ी संख्या में भेजे गए नोटिस (जिन्हें 'संदिग्ध विदेशी' या Doubtful Foreigner नोटिस कहा जाता है); ECI के स्थानीय कार्यालयों द्वारा बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के किसी व्यक्ति के नाम के आगे 'D' (संदिग्ध) मतदाता का निशान लगा देना (1 फरवरी, 2023 तक, असम में 'D' मतदाताओं की कुल संख्या 99,942 थी!);[3] और 31 अगस्त, 2019 को जारी असम की अंतिम NRC सूची से 19,06,657 लोगों के नाम हटा दिए जाना- ये तीन मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से 'दस्तावेज़ परीक्षण' के नाम पर लोगों को इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है! अंतिम NRC सूची प्रकाशित हुए सात साल बीत जाने के बाद भी, सूची से बाहर किए गए लोगों को अभी तक 'रिजेक्शन स्लिप' (rejection slips) नहीं दी गई हैं (!), जिससे उन लोगों के सिर पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती है, जिन्हें इस बुरे हश्र का सामना करना पड़ा है। असम में 'SIR' (विशेष गहन पुनरीक्षण) को कभी भी उसके मूल समावेशी स्वरूप में लागू नहीं किया गया; इसके बजाय, एक 'SR' (विशेष पुनरीक्षण) की घोषणा की गई है और उस पर काम चल रहा है। यहां का राजनीतिक माहौल बेहद अस्थिर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा - जो संवैधानिक रूप से चुने गए एक प्रतिनिधि हैं - लगातार नफ़रत भरे और भड़काऊ बयान दे रहे हैं; उन्होंने चेतावनी दी है कि चुनावों के बाद "4.5 लाख 'मियाओं' (बंगाली भाषी मुसलमानों) के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।"

SR की समय-सीमा और आंकड़े:

- **मसौदा मतदाता सूची:** 27 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित। कुल मतदाता: 2,52,01,624 (पुरुष: 1,25,72,583; महिला: 1,26,28,662; TG/तीसरा लिंग: 379)।
- **घर-घर सत्यापन:** 22 नवंबर से 20 दिसंबर, 2025 तक।
- **दावे और आपत्तियां:** 27 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक।
- **अंतिम मतदाता सूची:** 10 फरवरी, 2026 को प्रकाशित। कुल मतदाता: 2,49,58,139 (पुरुष-1,24,82,213; महिला-1,24,75,583; TG-343)।

[3] यहां दिए गए आंकड़े असम राज्य विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर आधारित हैं। यह सवाल 20मार्च, 2023 को विपक्ष के एक विधायक ने उठाया था। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया कि 1 फरवरी, 2023 तक असम में 'D वोटर' (संदिग्ध मतदाता) की कुल संख्या 99,942 है। असम में 'विदेशी ट्रिब्यूनल' (FT) 'संदिग्ध विदेशी नोटिस' पर फ़ैसला सुनाने वाली पहली संस्थाएं हैं। उसी तारीख़ को विपक्ष द्वारा पूछे गए इसी तरह के एक और सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई: FT के पास कुल 1,05,826 मामले लंबित थे।

CJP टीम असम के ज़मीनी अनुभव [4]

असम विशेष पुनरीक्षण (SR)

नागरिकों के लिए न्याय और शांति (CJP) की असम टीम द्वारा SR प्रक्रिया के संबंध में इकट्ठा किए गए विस्तृत ज़मीनी अनुभव गी जानकारी नीचे दी गई हैं:

1. कमज़ोर तबकों को जान-बूझकर बाहर करना

SR प्रक्रिया में मुख्य रूप से मुसलमानों, बंगाली बोलने वालों, महिलाओं और अन्य ग़रीब व हाशिए पर पड़े समूहों को निशाना बनाया गया है। चुनावी सूची का मसौदा जारी होने के बाद, लाखों बंगाली बोलने वालों और मुसलमानों को सत्ताधारी पार्टी (BJP) द्वारा सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। हालांकि, बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करने की कोशिशें काफी हद तक नाकाम रहीं, फिर भी अंतिम सूची में कई इलाकों से बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के नाम गायब पाए गए, जबकि मसौदा सूची में उनके नाम मौजूद थे। यह बात विशेष रूप से दरांग ज़िले के सिपाझार विधानसभा क्षेत्र (LAC), धुबरी ज़िले के बिलासीपारा LAC और श्रीभूमि (पहले करीमगंज) ज़िले में साफ़ तौर पर देखने को मिली।

उदाहरण के लिए, सिपाझार LAC (बूथ 279, 280, 281, 284 और 287) में, 55 ऐसे वैध मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए, जिन्होंने अपना निवास स्थान कहीं और नहीं बदला था। जहां अधिकारी इन चूकों को "तकनीकी गलतियां" कहकर टालने की कोशिश करते हैं, वहीं इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है: ये तकनीकी गलतियां बंगाली भाषी मुसलमानों को ही असमान रूप से क्यों प्रभावित करती हैं?

2. प्रवासी मज़दूरों के मताधिकार से वंचित होना

प्रवासी मज़दूरों को अक्सर मतदाता सूची से बाहर करने का निशाना बनाया जाता है। जब घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाता है और ये लोग अपने घर पर नहीं मिलते, तो प्रशासन तुरंत उनके नाम हटाने के कदम उठाता है। अकेले श्रीभूमि ज़िले में ही, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लगभग 10,000 झूठी शिकायतें दर्ज की गई थीं। हालांकि नागरिकों के हस्तक्षेप के कारण इन सामूहिक शिकायतों को सफलतापूर्वक रद्द कर दिया गया- जिसके परिणामस्वरूप अंतिम सूची में लगभग 100% नाम प्रकाशित हुए- फिर भी कई बूथों पर लगभग 5 से 6 लोगों के नाम अभी भी बची हुई झूठी शिकायतों, उनके प्रवासी मज़दूर होने की स्थिति, या बेदख़ली से जुड़े मुद्दों के कारण हटा दिए गए हैं।

3. बेदखल किए गए लोगों पर असर

इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि राज्य द्वारा चलाए जा रहे बेदख़ली अभियानों के शिकार लोगों को अब सूची से बाहर करने का भी निशाना बनाया जा रहा है। धुबरी ज़िले के बिलासीपारा LAC के बूथ 157, 158, 160 और 161 से सैकड़ों वैध मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए; ये सभी लोग बेदख़ल किए गए व्यक्ति थे। बेदख़ल किए गए लोगों के मामले में सरकारी अधिकारियों का रवैया बहुत ही असंगत है: कुछ लोग मतदाता सूची में बने हुए हैं, कुछ लोगों का पुराना पंजीकरण रद्द होने के बाद नए स्थानों पर पंजीकरण कर दिया गया है, जबकि कुछ अन्य लोग, जिन्होंने अपना पुराना पंजीकरण रद्द होने के बाद नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, अब दोनों ही सूचियों से गायब हैं। बराक घाटी के श्रीभूमि ज़िले में भी बेदख़ल किए गए लोगों को अंतिम सूची से बाहर किए जाने के ऐसे ही मामले सामने आए हैं।

4. जीवित व्यक्तियों को "E" यानी EXPIRED/मृत के रूप में हटाना

प्रशासन ने जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित करके उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण बूथ नंबर 20 (बिजनी LAC 43) के क्रम संख्या 272 पर दर्ज मतदाता- मिनाती साहा हैं, जो 50 वर्षीय विधवा हैं। उनका नाम मसौदा सूची में शामिल था, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से "मृत" के रूप में चिह्नित करके अंतिम सूची से हटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग अभी भी यह दावा कर रहा है कि यह सूची पूरी तरह से सही है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने मृत्यु का बहाना बनाकर जीवित व्यक्तियों को सूची से हटा दिया है।

[4] असम में जो प्रक्रिया चल रही है, वह 'विशेष पुनरीक्षण' (SR) है, न कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR):SR की यह प्रक्रिया फ़ॉर्म भरने या दस्तावेज़ जमा करने के बजाय, घर-घर जाकर सत्यापन करने के माध्यम से पूरी की गई। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, पूरे राज्य में 29,656 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLOs)को तैनात किया गया था।

ऊपर बताए गए कारणों के अलावा, एक और अहम बात यह है कि असम में सत्ताधारी पार्टी (BJP) सीधे तौर पर मुसलमानों, बंगाली बोलने वालों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती है; और यह सब मुख्य रूप से 'दावा और आपत्ति' (claim and objection) प्रक्रिया के ज़रिए किया जाता है। इसका असर मौजूदा SR प्रक्रिया पर भी पड़ता है, जिसके लिए यह अनिवार्य है कि वह समानता, समावेश और गैर-भेदभाव के संवैधानिक मूल सिद्धांतों का पालन करे।

फ़ॉर्म-7 का सुनियोजित दुरुपयोग

असम के विभिन्न ज़िलों में, विशेष रूप से श्रीभूमि (पूर्व करीमगंज) और गोलपारा में, झूठी आपत्तियां उठाई गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वैध मतदाताओं के ख़िलाफ़ आपत्तियां उन व्यक्तियों के नाम पर भी दर्ज की गई हैं, जो अब जीवित नहीं हैं (मृत व्यक्ति)।

- **गोलपारा शहर में जाली शिकायतें:**

  कृष्णाई के ज्योतिनगर की रहने वाली नबा बाला राय नाम की एक महिला ने कथित तौर पर गोलपारा शहर में वैध मतदाताओं के ख़िलाफ़ चौंका देने वाली 64 आपत्तियां दर्ज कराईं। नोटिस मिलने के बाद, पीड़ित लोग शिकायतों के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचे। उसने इन 64 मतदाताओं के ख़िलाफ़ आपत्तियां उठाने की बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। इसके बाद, उसने असमिया भाषा में अपना नाम लिखकर इनमें से कुछ शिकायतें वापस ले लीं। हालांकि, मूल 'फ़ॉर्म 7' शिकायतों की समीक्षा करने पर पता चला कि उन पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए गए थे- एक ऐसी भाषा जिसे वह लिखना नहीं जानती।

- **श्रीभूमि में मनगढ़ंत आपत्तियां:**

  श्रीभूमि ज़िले के सलीम अहमद नामक एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने और 133 अन्य मतदाताओं के ख़िलाफ़ आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें उसने दावा किया कि वे असली मतदाता नहीं हैं। जब अहमद ने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुमना चौधरी को यह स्पष्ट किया कि उसने किसी के भी ख़िलाफ़ कोई शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, तब यह साफ़ हो गया कि ये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत थे।

- **सरकारी डेटाबेस तक अनाधिकृत पहुंच (कामरूप):**

  CJP टीम को रिपोर्ट मिली कि प्रह्लाद बिस्वास (महासचिव, दक्षिण कामरूप ज़िला BJP और ZPC सदस्य), मृण्मय बोरो (सचिव, दक्षिण कामरूप ज़िला BJP), बुद्धेश्वर राभा (महासचिव, दक्षिण कामरूप ज़िला ST मोर्चा, BJP), और मृदुल तालुकदार (उपाध्यक्ष, असम प्रदेश ST मोर्चा, BJP) ने बिना किसी अनुमति के, कामरूप के बोको-छायागांव स्थित सह-ज़िला आयुक्त के कार्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने अवैध रूप से सरकारी दस्तावेज़ों और चुनाव आयोग के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तक पहुंच बनाई।

- **स्थानांतरण के झूठे दावे:**

  उन मतदाताओं के ख़िलाफ़ आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया है; जबकि वास्तविकता यह है कि ये मतदाता कभी भी अपने स्थान से कहीं और नहीं गए हैं।

- **मृत्यु के झूठे दावे:**

  अनेक शिकायतों में, फ़र्ज़ी आपत्तिकर्ताओं और मनगढ़ंत शिकायतकर्ताओं के माध्यम से, जीवित मतदाताओं को झूठे तौर पर "मृत" घोषित कर दिया गया है।

अन्य अनियमितताएं और CJP टीम द्वारा हस्तक्षेप

SR प्रक्रिया के दौरान, CJP असम टीम ने लगातार कई अनियमितताएं देखीं; विशेष रूप से, सत्ताधारी दल का खुला हस्तक्षेप और Form-7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग सामने आया।[5]

---

[5] https://sabrangindia.in/form-7-and-the-politics-of-exclusion-how-assams-voter-revision-has-become-a-battleground/

साझा ज्ञापन और वकालत

इससे निपटने के लिए, CJP टीम ने ठोस उदाहरणों के साथ एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया। इस पहल में हमने असम के तीन अन्य लोकतांत्रिक संगठनों के साथ मिलकर काम किया: इसमें असम मजूरी श्रमिक यूनियन, बंचना बिरोधी मंच और फोरम फॉर सोशल हार्मनी शामिल हैं। इसके अलावा, हमने स्थानीय बैठकों, चर्चाओं, फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मुखर व सामुदायिक स्वयंसेवकों की तैनाती के माध्यम से इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर व्यापक जागरूकता फैलाई और प्रशासन पर दबाव बनाया।

'साज़िशों' के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई

यह ध्यान देने योग्य है कि अचीमगंज क्षेत्र (पथारकंडी विधानसभा क्षेत्र, श्रीभूमि ज़िला) में मतदान केंद्र 24 और 26 पर 30 असली मतदाताओं के ख़िलाफ़ एक झूठी आपत्ति दर्ज की गई थी। यह आपत्ति उन्हें मतदाता सूची से हटाने की एक साज़िश के तहत की गई थी। इसके जवाब में, इन मतदाताओं ने करीमगंज के वरिष्ठ वकील सुब्रत कुमार पाल के माध्यम से क़ानूनी नोटिस भेजे। ये नोटिस श्रीभूमि के ज़िला प्रशासक, पथारकंडी के उप-ज़िला प्रशासक, श्रीभूमि के चुनाव अधिकारी, संबंधित दो BLO, और शिकायतकर्ता के तौर पर सूचीबद्ध कुल आठ व्यक्तियों को तामील कराए गए।

राशन डीलरों द्वारा उत्पीड़न का मुक़ाबला

इसके अलावा, कई ज़िलों- जिनमें चिरांग, बोंगाईगांव, कोकराझार, दरंग और गोलपारा शामिल हैं- में राशन डीलरों ने मतदाताओं को फ़ोन करके उनसे सत्यापन के लिए दस्तावेज़ों की मांग करना शुरू कर दिया। CJP असम टीम ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थानीय चुनाव कार्यालयों का दौरा किया और बातचीत की व्यवस्था की। हमारे हस्तक्षेप के माध्यम से, हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक को राशन डीलरों के सामने अपने दस्तावेज़ तब तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि अधिकारियों द्वारा कोई औपचारिक, लिखित नोटिस जारी न किया जाए।

झूठी शिकायतों के पीछे के मक़सद को नाकाम करना

आख़िरकार, बार-बार दख़ल देने के बावजूद, लाखों झूठी शिकायतें दर्ज की गईं। हमारी जागरूकता बैठकों, अनौपचारिक संपर्कों, हमारे नेटवर्क में मौजूद BLO के साथ चर्चाओं और हमारे सामुदायिक स्वयंसेवकों के समर्पण के ज़रिए, हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की मदद कर पाए। यह बात ध्यान देने लायक है कि 26 प्रभावित व्यक्तियों की जो ख़ास सूची हमने अपने ज्ञापन प्रस्तुति के दौरान ECI को सौंपी थी, उसमें 100% सफलता मिली; उन सभी के नाम सुरक्षित रूप से शामिल कर लिए गए।

फ़ॉर्म-7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ, जिससे असम में लाखों नाम प्रभावित हुए। हालांकि, हमारी त्वरित और सामूहिक ज़मीनी स्तर की दखलंदाज़ी से यह साज़िश अंततः नाकाम कर दी गई।

बाहर किए गए लोगों की सूची (बंगाली भाषी मुसलमान - सिपाझार LAC संख्या 49)

नोट: उन्हें ड्राफ़्ट में शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम सूची में "S" (स्थानांतरित) का निशान लगाकर हटा दिया गया; यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि वे कहीं भी स्थानांतरित नहीं हुए हैं।

Booth No	Serial No	House No	Name	Guardian's Name	Remarks/LAC
279	12	655	Sahar Ali	Sonaulla Mollah	
279	13	655	Lahar Ali	Sonaulla Mollah	
279	14	655	Isaton Nesa	Mohor Ali	
279	15	655	Rahid Ali	Sonaulla Mollah	
279	16	655	Firoja Begum	Rashid Ali	
279	17	655	Halima Khatun	Sahar Ali	
279	18	655	Hasan Ali	Sahar Ali	
279	19	655	Rasida Parbin	Hassan Ali	
279	20	655	Yousub Ali	Mahar Ali	
279	22	655	Saleha Khatun		

279	135	668	Abdul Batin Ali Ahmed	Alimuddin	
279	139	668	Rajmina Parbin	Abdul Batin Ali Ahmed	
279	334	726	Manowara Begum	Gafur	
279	335	726	Munnat Ali	Gafur	
279	336	726	Asful Begum	Gafur	
279	337	726	Abdus Ali	Gafur	
279	338	726	Sairon Nessa	Munnat	
279	450	754	Basiran Nessa	Amar Ali	
279	145	669	Hussen Ali	Minhas Ali	
279	146	669	Amena Khatun	Hussen Ali	
279	104	665	Sahidul Islam	Mahiruddin Ahmed	
280	47	800	Sairuddin Ahmed	Lokman Ali	
280	265	858	Sukur Ali	Zamser Ali	
280	266	858	Anna Khatun	Sukur Ali	
280	267	858	Saleha Khatun	Sajahan Ali	
280	268	858	Sajahan Ali	Montaj Ali	
280	269	858	Khabar Ali	Montaj Ali	
280	270	858	Hasna Khatun	Khabar Ali	
280	344	869	Mokbul Ali	Abul Hussain	
280	391	887	Jiarul Islam	Sher Ali	
280	392	887	Zakir Ali	Sher Ali	
280	393	887	Housi Khatun	Sher Ali	
280	395	887	Sanowara Begum	Zakir Hussain	
280	126	833	Halima Khatun	Mahuruddin Ahmed	
280	127	833	Hajrat Ali	Mahuruddin Ahmed	
284	19	314	Abbas Ali	Sikkim Ali	
284	223	341	Marjina Khatun	Safiqul Islam	
284	307	356	Sahajan Ali	Intaz Ali	
284	302	355	Madhu Mala	Jahidul Islam	
284	268	350	Musa Ali	Lalbhanu	
284	255	348	Rahima Khatun	Elim Ali	
284	254	348	Elim Ali	Sutter Ali	
284	260	348	Shah Alom	Sattar Ali	
284	546	386	Aynal Hoque	----	
281	172	25	Rokiya Khatun	Sonauddin	
281	196	30	Jamila Khatun	Gaji Ali	
281	502	82	Foizuddun	Mohiruddin	
281	503	82	Kamala Khatun	Foijudduin	
281	504	82	Mofiz Ali	Foijuddin	
287	96	607	Fulchan Ali	Jaban Ali	

असम की अंतिम वोटर लिस्ट में नाम हटाने और सवालों का समूह

CJP असम टीम द्वारा उपलब्ध चुनावी डेटा के विश्लेषण से एक ऐसा पैटर्न सामने आया है, जिसमें कई ऐसे वोटर शामिल हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ़्ट में तो थे, लेकिन बाद में उन्हें अंतिम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। इस इकट्ठा किए गए डेटासेट में बिलासपारा, सिपाझार, गोलपारा ईस्ट और बिजनी जैसे कई चुनावी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें ऐसे कई मामले दर्ज हैं, जहां वोटरों के नाम हटाने की वजह के तौर पर उन्हें "शिफ़्टेड" (दूसरी जगह चले गए) या "मृत" के तौर पर दिखाया गया है। कई मामलों में, ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे परिवार या एक ही बूथ के वोटरों के समूह को एक साथ हटा दिया गया है। CJP द्वारा जांचे गए डेटा से यह बात सामने आती है कि ड्राफ़्ट लिस्ट में शामिल कम से कम 97 वोटर अब अंतिम लिस्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे उन हालात और जांच-पड़ताल की प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े होते हैं, जिनके चलते ये नाम हटाए गए।

CJP's Assam Team's Observations

Sl No.	Name of Constituency	Part No.	Voter Sl. No.	Name of Voter	Relative's Name of Voter	Reason for Deletion	Remarks
1	10 No. Bilasipara	158	429	Mobarak ali	Kaser uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
2	10 No. Bilasipara	158	430	Anna Khatun	Mobarak Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
3	10 No. Bilasipara	158	431	Ahamed Ali	Mobarak Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
4	10 No. Bilasipara	158	432	kadbhan Bibi	Ahamed Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
5	10 No. Bilasipara	158	433	Nureja Khatun	Saddam Hussain	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
6	10 No. Bilasipara	158	434	Saddam Hussain	Mobarak Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
7	10 No. Bilasipara	158	435	Moktel Ali	kaser uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
8	10 No. Bilasipara	158	436	Basiya Khatun	Moktel Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
9	10 No. Bilasipara	158	437	Baser Ali	Moktel Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
10	10 No. Bilasipara	158	438	Sabiya Khatun	Baser Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
11	10 No. Bilasipara	158	153	Jahura Khatun	Musa Sk	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
12	10 No. Bilasipara	158	162	Jahar uddin	Nasimuddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
13	10 No. Bilasipara	158	163	kadbhanu Bibi	Jahar Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
14	10 No. Bilasipara	158	164	Alom Chan	Jahar Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
15	10 No. Bilasipara	158	165	Khushimon Bibi	Alom Chan	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
16	10 No. Bilasipara	158	166	Musa Sk	Jahar Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
17	10 No. Bilasipara	159	74	Mahmud Ali	Osumuddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
18	10 No. Bilasipara	159	75	Sajida Khatun	Mamud Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
19	10 No. Bilasipara	159	76	Laila Khatun	Sona Ullah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
20	10 No. Bilasipara	159	77	asmot Ali	Sona Ullah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list

21	10 No. Bilasipara	159	78	Rahmat Uddin	Sona Ullah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
22	10 No. Bilasipara	159	79	Raymona Khatun	Asmot Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
23	10 No. Bilasipara	159	80	Jesmina Parbin	Rahmat Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
24	10 No. Bilasipara	159	81	Mominur Islam	Sona Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
25	10 No. Bilasipara	159	82	Sona Uddin	Asimuddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
26	10 No. Bilasipara	159	82	Hasina Khatun	Sona Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
27	10 No. Bilasipara	157	63	Lalbhan Bibi	Mokom Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
28	10 No. Bilasipara	157	64	Magrob Ali	Mokom	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
29	10 No. Bilasipara	157	65	Major Ali	Mokom Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
30	10 No. Bilasipara	157	66	Habija Bibi	Major Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
31	10 No. Bilasipara	157	356	Jahirul Islam	Hazrat Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
32	10 No. Bilasipara	157	357	Hasina Khatun	Jahirul Islam	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
33	10 No. Bilasipara	157	358	Jaynob Nessa	Intaj Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
34	10 No. Bilasipara	157	359	Rohima Khatun	Abdul Barek	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
35	10 No. Bilasipara	157	360	Nur Hussain	Montaj Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
36	10 No. Bilasipara	157	361	Ajiron Nessa	Nur Hussain	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
37	10 No. Bilasipara	157	362	Hazrat Ali	Tahaj Uddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
38	10 No. Bilasipara	157	364	Subiya Khatun	Hazrat Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
39	10 No. Bilasipara	157	365	Abul Kalam Ajad	Abdul Karim Mollah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
40	10 No. Bilasipara	157	366	Ujjala Nessa	Matuj Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
41	10 No. Bilasipara	159	84	Tarif Ullah Sheikh	Asimuddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
42	10 No. Bilasipara	159	85	Shukurjan Bibi	Tarif Ullah Sheikh	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
43	10 No. Bilasipara	159	86	Sahidul Islam	Tarif Ullah Sheikh	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
44	10 No. Bilasipara	159	88	Shofika Khatun	Tarif Ullah Sheikh	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
45	49 No. Sipajhar	279	12	Sahar Ali	Sonaulla Mollah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
46	50 No. Sipajhar	279	13	Lahar Ali	Sonaulla Mollah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
47	51 No. Sipajhar	279	14	Isaton Nesa	Mohor Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
48	52 No. Sipajhar	279	15	Rahid Ali	Sonaulla Mollah	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list

49	53 No. Sipajhar	279	16	Firoja Begum	Rashid Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
50	54 No. Sipajhar	279	17	Halima Khatun	Sahar Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
51	55 No. Sipajhar	279	18	Hasan Ali	Sahar Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
52	56 No. Sipajhar	279	19	Rasida Parbin	Hassan Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
53	57 No. Sipajhar	279	20	Yousub Ali	Mahar Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
54	58 No. Sipajhar	279	22	Saleha Khatun		Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
55	59 No. Sipajhar	279	135	Abdul Batin Ali Ahmed	Alimuddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
56	60 No. Sipajhar	279	139	Rajmina Parbin	Abdul Batin Ali Ahmed	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
57	61 No. Sipajhar	279	334	Manowara Begum	Gafur	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
58	62 No. Sipajhar	279	335	Munnat Ali	Gafur	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
59	63 No. Sipajhar	279	336	Asful Begum	Gafur	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
60	64 No. Sipajhar	279	337	Abdus Ali	Gafur	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
61	65 No. Sipajhar	279	338	Sairon Nessa	Munnat	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
62	66 No. Sipajhar	279	450	Basiran Nessa	Amar Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
63	67 No. Sipajhar	279	145	Hussen Ali	Minhas Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
64	68 No. Sipajhar	279	146	Amena Khatun	Hussen Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
65	69 No. Sipajhar	279	104	Sahidul Islam	Mahiruddin Ahmed	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
66	70 No. Sipajhar	280	47	Sairuddin Ahmed	Lokman Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
67	71 No. Sipajhar	280	265	Sukur Ali	Zamser Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
68	72 No. Sipajhar	280	266	Anna Khatun	Sukur Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
69	73 No. Sipajhar	280	267	Saleha Khatun	Sajahan Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
70	74 No. Sipajhar	280	268	Sajahan Ali	Montaj Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
71	75 No. Sipajhar	280	269	Khabar Ali	Montaj Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
72	76 No. Sipajhar	280	270	Hasna Khatun	Khabar Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
73	77 No. Sipajhar	280	344	Mokbul Ali	Abul Hussain	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
74	78 No. Sipajhar	280	391	Jiarul Islam	Sher Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
75	79 No. Sipajhar	280	392	Zakir Ali	Sher Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
76	80 No. Sipajhar	280	393	Housi Khatun	Sher Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list

77	81 No. Sipajhar	280	395	Sanowara Begum	Zakir Hussain	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
78	82 No. Sipajhar	280	126	Halima Khatun	Mahuruddin Ahmed	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
79	83 No. Sipajhar	280	127	Hajrat Ali	Mahuruddin Ahmed	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
80	84 No. Sipajhar	284	19	Abbas Ali	Sikkim Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
81	85 No. Sipajhar	284	223	Marjina Khatun	Safiqul Islam	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
82	86 No. Sipajhar	284	307	Sahajan Ali	Intaz Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
83	87 No. Sipajhar	284	302	Madhu Mala	Jahidul Islam	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
84	88 No. Sipajhar	284	268	Musa Ali	Lalbhanu	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
85	89 No. Sipajhar	284	255	Rahima Khatun	Elim Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
86	90 No. Sipajhar	284	254	Elim Ali	Sutter Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
87	91 No. Sipajhar	284	260	Shah Alom	Sattar Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
88	92 No. Sipajhar	284	546	Aynal Hoque	----	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
89	93 No. Sipajhar	281	172	Rokiya Khatun	Sonauddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
90	94 No. Sipajhar	281	196	Jamila Khatun	Gaji Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
91	95 No. Sipajhar	281	502	Foizuddun	Mohiruddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
92	96 No. Sipajhar	281	503	Kamala Khatun	Foijudduin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
93	97 No. Sipajhar	281	504	Mofiz Ali	Foijuddin	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
94	98 No. Sipajhar	287	96	Fulchan Ali	Jaban Ali	Shifted	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
95	14 No. Goalpara East	8	116	Namibala Das	Dhoroni Ch Das	Death	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
96	14 No. Goalpara East	8	270	Rothin Chandra Das	Fotik Chandra Das	Death	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list
97	20 No. Bijni	43	272	Minoti Saha	Ratan Saha	Death	Name appeared in draft voter list but deleted from final voter list

2. उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल

CJP की उत्तर प्रदेश टीम (पूर्वांचल क्षेत्र) ने दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान मतदाताओं की शिकायतों का बारीकी से अध्ययन किया है।

- **निज़ामाबाद विधानसभा (आजमगढ़):** 412 बूथों और कुल 3,07,557 मतदाताओं के बीच, चौंकाने वाले 72,133 नोटिस जारी किए गए। 2021 की जनगणना के अनुसार, निज़ामाबाद में मुस्लिम मतदाता आबादी का 40.78% हैं (और इसलिए, स्वाभाविक रूप से मतदाताओं का भी)।

केस स्टडी 1: क़ैसर जहां (वाराणसी)

कैसर जहां, जो पिछले महीने अपने पति को खोने के बाद इस समय अपनी 'इद्दत' की अवधि बिता रही हैं, उन्हें दिसंबर 2025 की ड्राफ़्ट सूची में अपना नाम होने के बावजूद एक SIR नोटिस मिला। इस नोटिस में उन्हें 23 जनवरी, 2026 को पेश होने का निर्देश दिया गया था, जिसे श्री अजय कुमार तिवारी (AERO), 388-वाराणसी द्वारा जारी किया गया था। उन्हें अपना आधार, जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

CJP की उत्तर प्रदेश टीम के साथ क़ैसर जहां

ग्राउंड से CJP का सेंपल: SIR सत्यापन प्रक्रिया और अयोग्य BLOs

स्थान: विधानसभा क्षेत्र 389 (वाराणसी दक्षिण), बूथ संख्या 234

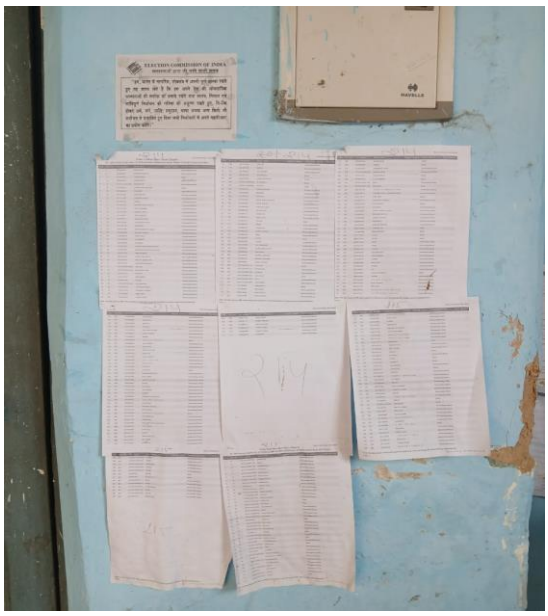

CJP की उत्तर प्रदेश टीम द्वारा वाराणसी दक्षिण के बूथ नंबर 234 पर बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) के साथ की गई ग्राउंड पर बातचीत के दौरान, SIR वेरिफिकेशन के काम से जुड़ी स्थानीय जानकारी सामने आई। दिसंबर 2025 में इस बूथ पर 691 रजिस्टर्ड वोटर थे, जिनमें से लगभग 292 लोगों को स्पष्टीकरण या सहायक दस्तावेज़ जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।

BLO के अनुसार, ये नोटिस मुख्य रूप से नामों, उम्र की जानकारी में अंतर, या पारिवारिक रिकॉर्ड में बेमेल होने से संबंधित हैं। वोटरों से फ़ोन कॉल और घर जाकर संपर्क किया जा रहा है, ताकि वे आधार कार्ड, हाई स्कूल सर्टिफ़िकेट, राशन कार्ड, PAN कार्ड और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म जमा कर सकें। हालांकि, कई निवासी अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे नहीं आए हैं।

BLO के साथ बातचीत (पहचान गोपनीय रखी गई है)

सवाल (CJP टीम सदस्य): आप किस विधानसभा क्षेत्र और बूथ से हैं? वहां कितने मतदाता हैं, और कितने लोगों को नोटिस मिले हैं?

जवाब (BLO, जिनकी पहचान गोपनीय रखी गई है): विधानसभा क्षेत्र वाराणसी दक्षिण है, जिसका क्रमांक 389 है। बूथ क्रमांक 234 है। दिसंबर 2025 में यहां कुल मतदाताओं की संख्या 691 थी। वर्तमान में, 292 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब तक 50% कार्य पूरा हो चुका है। हमने सभी के फ़ोन नंबर प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें फ़ोन करके फ़ॉर्म भरने के लिए बुलाया है। लेकिन लोग आ ही नहीं रहे हैं। 7 फरवरी अंतिम तिथि है; इसे ही अंतिम रिपोर्ट के रूप में भेजा जाएगा।

सवाल: ये नोटिस मिलने के क्या कारण हैं?

जवाब: ज़्यादातर नाम में गड़बड़ी, फ़ाइनल SIR से मेल न खाना, माता-पिता के रिकॉर्ड में उम्र का अंतर, नाना-नानी या दादा-दादी के रिकॉर्ड में उम्र का अंतर, और छह से ज़्यादा बच्चे होना।

सवाल: जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उनसे कौन-से दस्तावेज़ जमा करवाए जा रहे हैं?

जवाब: हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, PAN कार्ड, पीला कार्ड (राशन कार्ड), और बैंक पासबुक।

सवाल: आपका मुख्य पेशा क्या है? आपको BLO का काम कैसा लगता है?

जवाब: मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हूं। SIR का काम भी हमें ही सौंपा गया है। काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें अपने आंगनवाड़ी के कामों के साथ-साथ इसे भी संभालना पड़ता है। SIR के काम में बहुत ज़्यादा समय लगता है। शुरुआत में, हमें यह प्रक्रिया समझ में नहीं आई थी। कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। अब जब यह काम हमें सौंपा गया है, तो हमें इसे करना ही है।

सवाल: आप रोज़ कितने घंटे काम करती हैं? आपकी रोज़ की दिनचर्या क्या है?

जवाब: मुझे रोज़ फील्ड में जाना पड़ता है। शुरू में, मैं घर-घर जाकर फ़ार्म भरवाती थी; अब जब नोटिस जारी हो गए हैं, तो मैं लोगों के घर जाकर या फ़ोन के ज़रिए उन्हें जानकारी देती हूं। नोटिस के कारण के आधार पर, हम फ़ॉर्म के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ भी इकट्ठा करते हैं। मैं सुबह 5:00 बजे उठती हूं, घर का काम निपटाती हूं, अपने पति और बच्चों का ध्यान रखती हूं, और सुबह 9:00 बजे तक फील्ड के लिए निकल जाती हूँ। मैं शाम 6:00 बजे या कभी-कभी 7:00 बजे तक घर लौट आती हूं। क्योंकि काम एक तय समय-सीमा के अंदर पूरा करना होता है, इसलिए सीनियर अधिकारियों की तरफ़ से बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। जब से यह काम शुरू हुआ है, मेरी खाने-पीने की आदतें पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। शाम को घर लौटने के बाद भी, लोग देर रात तक फ़ोन करते रहते हैं, और हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है या खुद उनसे संपर्क करना पड़ता है। जब बूथ पर कोई कैंप लगाया जाता है, तो हम पूरे दिन वहीं बैठकर लिस्ट में नाम चेक करते हैं, फ़ॉर्म भरवाते हैं, और दस्तावेज़ इकट्ठा करते हैं। काम इतना ज़्यादा है कि मैं आपको कितना बताऊं?

सवाल: क्या आपको इस काम के लिए कोई अतिरिक्त मानदेय या वेतन मिल रहा है?

जवाब: हमें महीने के 500 रुपये मिलते हैं। मोबाइल रिचार्ज के लिए हमें साल के 1,000 रुपये मिलते हैं। हमें हर महीने फ़ोन रिचार्ज करवाना पड़ता है, लेकिन हमें यह भत्ता साल में सिर्फ़ एक बार मिलता है। आज के ज़माने में इतनी महंगाई और इतने ज़्यादा काम के हिसाब से यह रकम कुछ भी नहीं है।

सवाल: क्या SIR के काम में कोई आपकी मदद करता है? क्या कोई सामाजिक या राजनीतिक दल कोई सहायता देते हैं?

जवाब: कोई नज़र नहीं आता। एक पार्टी के लोग फ़ॉर्म भरवाने में काफ़ी सक्रिय हैं। (पूछने पर उन्होंने बताया) BJP के सदस्य बूथों पर और आस-पड़ोस में नज़र आते हैं। कुछ जगहों पर SP (समाजवादी पार्टी) के सदस्य भी सक्रिय हैं।

केस स्टडीज़: पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश (UP)

CJP की पूर्वांचल (UP) टीम द्वारा की गई पांच विस्तृत स्टडीज़

इनामुल हक़, उनकी पत्नी सोनी और उनकी तीन बेटियों (नसीमा बानो, मैसबा, और शमा परवीन)- जो अमरपुर बटलोइया मोहल्ला, वार्ड नंबर 39, जलालीपुरा, वाराणसी के निवासी हैं- के संघर्ष को CJP पूर्वांचल टीम ने अनुभव किया।

CJP पूर्वांचल टीम: SIR फ़ॉर्म आ गया है, लेकिन हमने देखा कि आपके किसी भी रिश्तेदार का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। जब हमने आपसे पहले बात की थी, तो BLO ने आपको ठीक-ठीक क्या बताया था?

इनामुल हक़: BLO ने हमसे कहा कि हमारा फ़ॉर्म तभी स्वीकार किया जाएगा, जब मेरा नाम- या मेरे माता-पिता, दादा-दादी, या नाना-नानी का नाम- 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल हो।

CJP पूर्वांचल टीम: क्या आपने 2003 के रिकॉर्ड में अपने परिवार के नाम खोजने की कोशिश की है?

इनामुल हक़: हम किराएदार हैं, और हमारे माता-पिता भी किराएदार ही थे; इसी वजह से हमें बार-बार घर बदलना पड़ता था। इस कारण, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि 2003 की वोटर लिस्ट में हमारे माता-पिता या दादा-दादी के नाम किस इलाक़े में दर्ज हो सकते हैं। इसके बावजूद, हमने उन सभी मोहल्लों की 2003 की वोटर लिस्ट में नाम खोजने की बहुत कोशिश की, जहां हम किराएदार के तौर पर रहे थे; लेकिन हमें कहीं भी उनके नाम नहीं मिले।

CJP पूर्वांचल टीम: जब SIR फ़ॉर्म जमा करने की आख़िरी तारीख़ नज़दीक आ गई, तब आपने क्या किया?

इनामुल हक़: SIR फ़ॉर्म जमा करने की आख़िरी तारीख़ को, मैंने अपनी पत्नी, अपनी बेटियों और अपने लिए फ़ॉर्म का ऊपरी हिस्सा भरा और उसे जमा कर दिया। बाद में, मैंने देखा कि मेरा नाम और मेरी बेटियों के नाम असल में ड्राफ़्ट लिस्ट में आ गए थे; यह देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं निश्चिंत होकर बैठ गया।

CJP पूर्वांचल टीम: क्या ड्राफ़्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया?

इनामुल हक़: हां, कुछ दिनों बाद, BLO के सुपरवाइज़र ने फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे 2003 की वोटर लिस्ट की एक फ़ोटोकॉपी लाने को कहा, जिसमें साफ़-साफ़ वह जगह दिखाई दे जहां मेरा नाम, मेरी पत्नी का नाम, या हमारे माता-पिता के नाम दर्ज हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया।

CJP पूर्वांचल टीम: जब आप नहीं गए, तो क्या उन्होंने दोबारा संपर्क किया?

इनामुल हक़: दो दिन बाद, उन्होंने फिर फ़ोन किया और पूछा कि मैं क्यों नहीं आया। मैंने उन्हें बताया कि 2003 की वोटर लिस्ट में न तो हमारे नाम हैं और न ही हमारे माता-पिता के नाम। तब उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए SIR फ़ॉर्म के पीछे लिस्ट किए गए 13 डॉक्यूमेंट्स में से, मुझे दो डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने होंगे।

CJP पूर्वांचल टीम: क्या आप उस लिस्ट में से दो डॉक्यूमेंट्स दे पाए?

इनामुल हक़: उन 13 डॉक्यूमेंट्स में से, मेरे पास सिर्फ़ आधार कार्ड है। मेरे पास कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं है। जब मैंने सुपरवाइज़र को यह बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तहसील से जाति और निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र बनवा लेने चाहिए, और उससे काम चल जाएगा।

CJP पूर्वांचल टीम: क्या आपने जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की?

इनामुल हक़: जब मैं जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक साइबर कैफ़े गया, तो वहां मौजूद व्यक्ति ने मुझे बताया कि किसी ख़ास पते के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, मुझे उस घर की हाउस टैक्स रसीद की एक कॉपी और एक 'पीला कार्ड' (Yellow Card) चाहिए होगा। तभी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

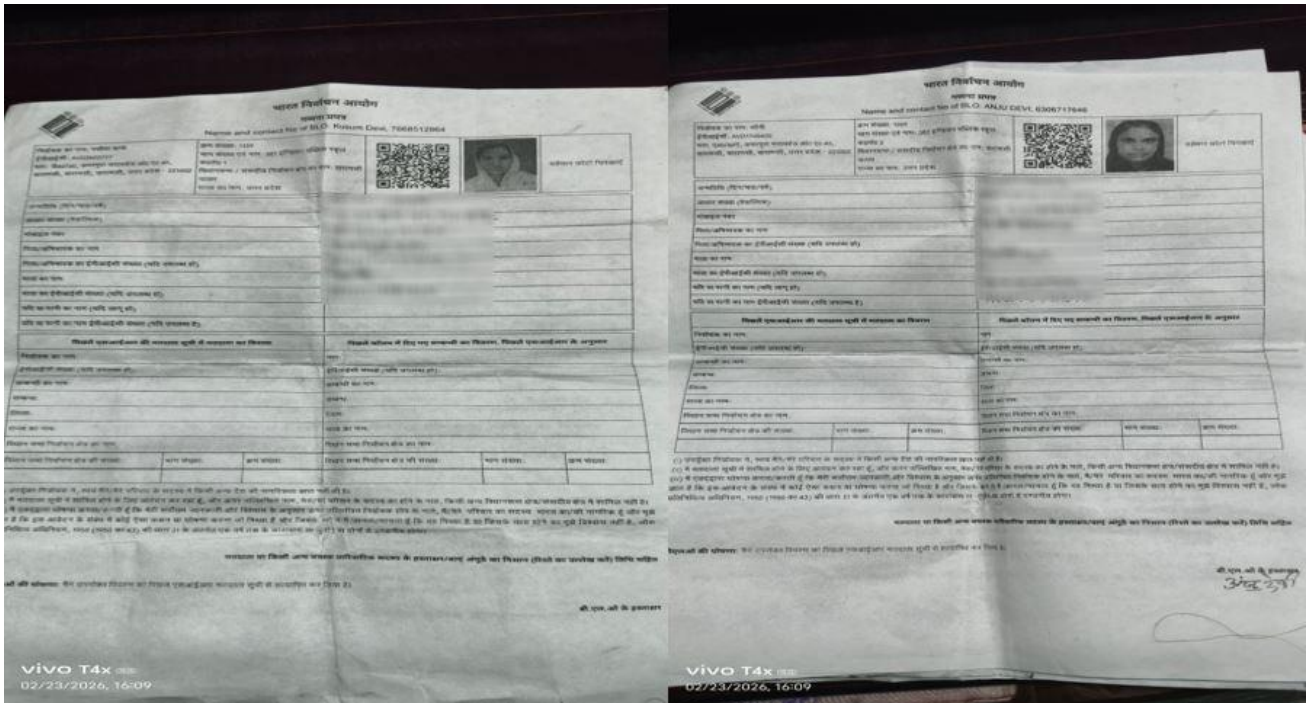

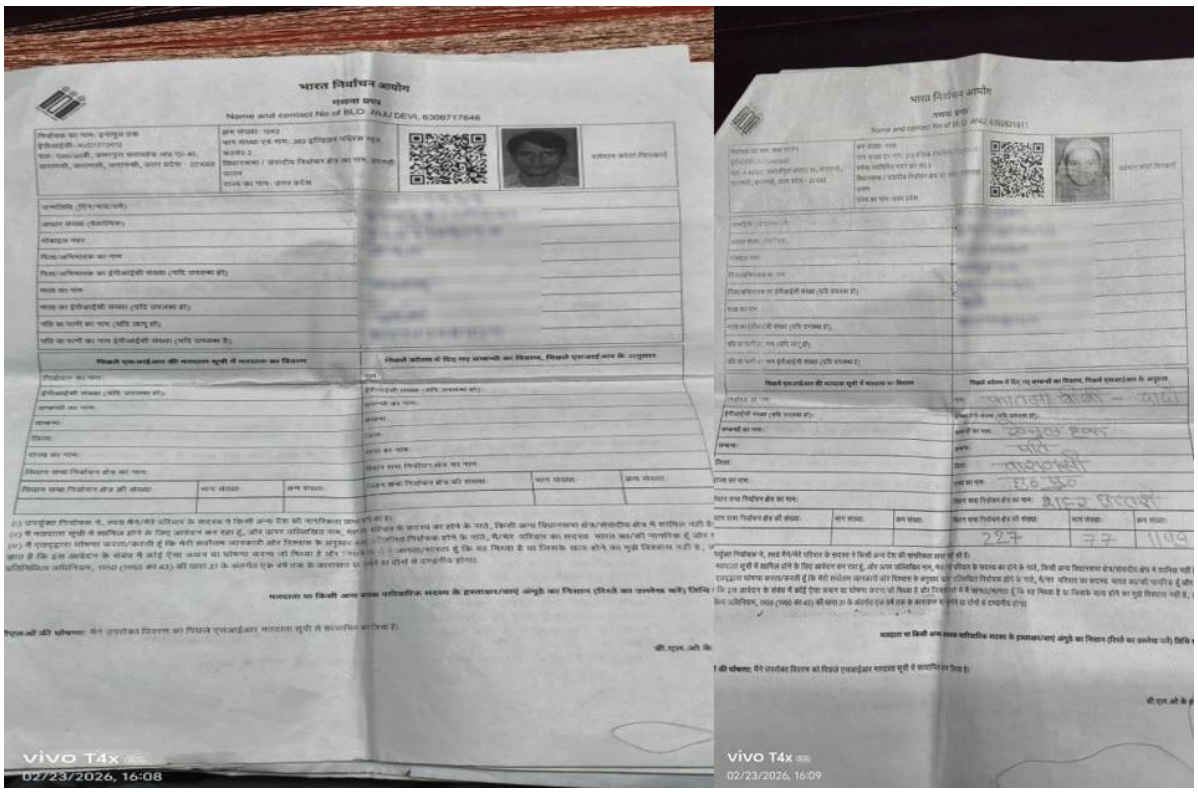

इनामुल हक़ के आवास पर CJP टीम द्वारा देखे गए SIR फ़ॉर्म

मकान मालिक का सहयोग न करना

CJP पूर्वांचल टीम: चूंकि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो क्या आपने अपने मकान मालिक से उन दस्तावेज़ों के बारे में पूछा था?

इनामुल हक: आप ही बताइए, हम किराए के मकान में रहते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र) बनवाने के लिए हमें 'येलो कार्ड' या 'हाउस टैक्स की रसीद' की ज़रूरत होती है, लेकिन मकान मालिक हमें वे दस्तावेज़ देने से मना कर रहा है। तो ऐसे में हम अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

CJP पूर्वांचल टीम: अभी क्या स्थिति है?

इनामुल हक: थक-हारकर, हमने आख़िरकार BLO और उनके सुपरवाइज़र से कह दिया कि हमारे पास आधार कार्ड के अलावा कोई और आईडी नहीं है। अब, यह उन पर है कि वे जो चाहें, सही समझकर करें।

आखिरकार, हक़ परिवार की यह आपबीती दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, आधार को स्वीकार करने में आने वाली इन सख़्त सरकारी रुकावटों का लोगों पर कितना गहरा मानसिक और भावनात्मक असर पड़ता है। थका हुआ और संभावित विरोध या आगे और निशाना बनाए जाने के डर से, परिवार ने हमारी टीम के साथ कैमरे पर बात करने से साफ़ इनकार कर दिया।

आज, इनामुल, सोनी और उनकी तीन बेटियां चुपचाप निराशा में डूबी बैठी हैं; उन्हें हर पल यह डर सता रहा है कि कहीं उनका वोट देने का अधिकार छीन न लिया जाए। उनकी यह दयनीय स्थिति "मैकेनिकल डिसएनफ्रेंचाइज़मेंट" (तकनीकी रूप से वोट का अधिकार छीनना) का एक जीता-जागता उदाहरण है, जो अभी 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) के दौरान चल रहा है। दावों और आपत्तियों की सुनवाई की सख़्त समय-सीमा, पुराने दस्तावेज़ों की सख्ती से मांग और मकान मालिकों के सहयोग न करने की व्यवस्थागत समस्या के बीच फंसे हुए, उत्तर प्रदेश- और अन्य राज्यों- के हक़ परिवार जैसे कमज़ोर किराएदार परिवारों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सुनियोजित तरीके से बाहर किया जा रहा है।

इनामुल के परिवार का विवरण

Name	EPIC	Address	SL No	Part NO	Constit-uency Name	District	Date of Birth	Aadhar	Mobile	Father name	Father EPIC	Mother name	Mother EPIC	Husband/ Wife Name	EPIC
Nasima bano	AVD2503777	A45/60 Amarpura, Sarai, Varanasi	1139	381	North	VNS	01.01.195	722525435682	8687109120 Inamul Huq	Inamul Huq	AVD1772912	Soni	AVD1748425		
Soni	AVD1748425	A45/60 Amarpura, Sarai, Varanasi	1069	382	North	VNS	01.01.1973	9038859143	8687109120	Maithi Sardar	-	Asimun	-	Inamul Huq	AVD1772912
Inamul Huq	AVD1772912	A45/60 Bamarpura, Sarai, Varanasi	1092	382	North	VNS	01.01.1969	891128265641	8687019120	Ainl	-	Fatima	-	Soni	AVD1748425
Shama Parven	AVD3405685	A40/60, Jalalipura RA 35Varanasi	1090	378	North	VNS	01.01.2001	215113850636	8687109120	Inamul Huq	AVD1772912	Soni	AVD1748425		
Maisaba	AVD2607166	A40/60 , Amarpura , Sarai HeadRA40 Varanas	1064	382	North	VNS	01.01.1996	236024456357	8687109120	Inamul Huq	AVD1772912	Soni	AVD1748425		

टेबल इमेज ज़ूम करने के लिए यहाँ क्लिक करें

SIR जांच-पड़ताल का मनमाना स्वभाव: दस्तावेज़ भी कोई सुरक्षा नहीं देते

जहां एक तरफ़ हक़ परिवार के पांच सदस्यों को सिर्फ़ इसलिए वोट देने के अधिकार से वंचित होने का ख़तरा था, क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज़ नहीं थे और मकान मालिक का सहयोग नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ़, पूरे दस्तावेज़ होने के बावजूद भी वोटर सरकारी उत्पीड़न से सुरक्षित नहीं रहते। इस कड़वी सच्चाई का एक उदाहरण क़ैसर जहां का मामला है। हक़ परिवार के उलट, क़ैसर के पास सभी ज़रूरी कागज़ात मौजूद थे। फिर भी, वैध दस्तावेज़ होने और दिसंबर 2025 की ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में पहले से ही अपना नाम होने के बावजूद, उन्हें निशाना बनाया गया। सरकारी तंत्र ने ज़रा भी हमदर्दी नहीं दिखाई, और परेशानियों से जूझ रही एक विधवा को अपनी नागरिकता दोबारा साबित करने के लिए अपनी इद्दत (धार्मिक एकांतवास) की प्रथा को तोड़ना पड़ा; जिससे यह साबित होता है कि SIR प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के सज़ा देने वाली है।

सबूत का बोझ: वैध मतदाताओं को SIR की कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है

CJP पूर्वांचल टीम ने ज़मीनी स्तर पर एक परेशान करने वाला पैटर्न देखा:

वैध नागरिकों को, जो पहले से ही पंजीकृत मतदाता हैं, इसके बावजूद कड़ी और मशीनी जांच का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी और जौनपुर के दौरे के दौरान, टीम ने नौ लोगों के मामलों को दर्ज किया- जिनमें शमा बानो, नाज़िया खान, महेंद्र प्रसाद मौर्य और कौसरजहां शामिल हैं- जो अचानक SIR के जाल में फंस गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के पास पहले से ही वैध इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर हैं और उनके नाम 2026 की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं।

फिर भी, CJP टीम ने पाया कि इस मौजूदा सत्यापन से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। उन्हें अचानक SIR नोटिस या अनिवार्य मांगें भेजी गईं, जिनमें बहुत ज़्यादा और बेहिसाब कागज़ात जमा करने की ज़रूरत थी। वोट देने के अपने मौलिक अधिकार को क़ायम रखने के लिए, इन नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल के प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया गया। ज़्यादा गंभीर मामलों में, अधिकारियों ने बैंक पासबुक, पीला (राशन) कार्ड, और यहां तक कि पिता का आधार कार्ड और फ़ोटो भी मांगे।

एसआईआर नोटिस का विवरण - पूर्वांचल यूपी 2026

Sl. No.	Name/ District	Gender/ marital status	EPIC No	Name in 2026 (Yes or No)	Received Notice (Yes or No)	Reason of Notice	Documents Required	Docume-nts Submitted (Yes or No)	Date of Submission Required Documents	Last date of submission of documents
1.	Shama bano/Varanasi	F/M	INB2260412	Yes	Yes	A	Aadhar, PAN, High school certificate,	yes	16-02-2026	13-02-2026
2.	Naziya khan/Varanasi	F/UM	INB5473038	Yes	Yes	B	Aadhar, PAN, High School certificate,	Yes	17-02-2026	16-02-2026
3.	Mahendar prasad maurya/Varanasi	M/M	ISG2859031	Yes	Yes	C	Aadhar, PAN, High School certificate, Bank Passbook, yellow Card	Yes	28-01-26	28-01-2026
4.	Ankit Verma/Varanasi	M/UM		Yes	No		Aadhar, Father Aadhar, passport size photo, High school certificate	Yes	13-02-2026	
5.	Kausarjahan/Jaunpur	F/M	ZUG3028768	Yes	No	B	Aadhar, PAN, High School certificate,	Yes	21-02-26	27-02-26
6.	Sakira Khan/Jaunpur	F/UM	ZUG3028719	Yes	No	B	Aadhar, PAN, High School certificate,	Yes	21-02-26	26-02-26
7.	Mo. Sahil Khan/Jaunpur	M/UM	ZUG3028727	Yes	No	A,B,D	Aadhar, PAN, High School certificate,	Yes	21-02-26	26-02-26
8.	Shabana Khatun/Jaunpur	F/UM	ZUG3028701	Yes	No		Aadhar, PAN, High School certificate,	Yes	21-02-26	27-02=26
9.	Armana/Jaunpur	F/M	ZUG2494169	Yes	No		Aadhar, PAN, High School certificate,	Yes	21-02-26	26-02-26

नोटिस के पीछे के कारण:

A. आपको उस व्यक्ति के पुत्र/पुत्री के रूप मे जोड़ा गया है जिसे छह अन्य लोग भी पिता के रूप मे दावा करते है, जिससे संभावित गलत मेल होने का संदेह पैदा होता है | (You have been added as the son/daughter of a person who is also claimed as a father by six other individuals, raising suspicion of a potential mismatch.)

B. वर्तमान निर्वाचक नामावली मे आपके पिता के नाम और पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली मे उनके नाम मे विसंगति के कारण, आपके गणना प्रपत्र मे दिखाए गए लिकेज के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है की आपके पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से गलत ढंग से लिंक किया गया है | (Due to a discrepancy between your father's name in the current electoral roll and his name in the electoral roll prepared during the previous intensive revision, as per the linkage shown in your enumeration form, it appears that you have been incorrectly linked to the electoral roll prepared during the previous Special Intensive Revision.)

C. आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबधित वह विवरण नहीं भर है, जिसके आधार पर आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली मे एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप मे स्थापित किया जा सके | (You have not provided the details pertaining to yourself or your relative on the basis of which you or your relative could be established as a registered elector in the electoral roll prepared during the previous Special Intensive Revision [SIR].)

D. यह कि आपके और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग पिछले प्रगाड़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गयी निर्वाचक नामावली से आपको जोड़ने के लिए किया गया है, 50 वर्ष से अधिक है, ऐसा प्रतीत होता है कि गलत मिलान के कारण ऐसा है. (That the age difference between you and your parents, whose details were used to link you to the electoral roll prepared during the previous intensive revision, is more than 50 years; this appears to be due to a mismatch.)

3. तमिलनाडु और गुजरात: अनुभव एवं मुद्दे

तमिलनाडु का उदाहरण: जनसांख्यिकीय पूर्वाग्रह

CPI (M) तमिलनाडु की तकनीकी टीम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में राज्य की SIR (मतदाता सूची) की समीक्षा की गई, जिसमें 97 लाख से ज़्यादा हटाए गए रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया गया:

- क़रीब 5.5 लाख "अतिरिक्त" मतदाता हटाने की सूचियों में दिखाई दिए, जबकि जनवरी 2025 के मूल मसौदे में उनका कोई अस्तित्व नहीं था।
- क़रीब 2,000 मतदाता कई निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड्स से रहस्यमय तरीक़े से ग़ायब हो गए।
- जनसांख्यिकीय पूर्वाग्रह: "प्रवास कर चुके" (migrated) या "निवासी नहीं" (not residing) के रूप में वर्गीकृत करके हटाए गए नाम का असर विवाहित महिलाओं और शहरी कामकाजी वर्ग की आबादी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा।
- शोधकर्ताओं ने मृत्यु से संबंधित क़रीब 27 लाख नाम को हटाने की प्रक्रिया की जनसांख्यिकीय सटीकता पर सवाल उठाए; उन्होंने 41- 65 आयु वर्ग में मृत्यु के मामलों में असामान्य वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में लिंग-आधारित मृत्यु दर के सांख्यिकीय रूप से असंभव अनुपातों की ओर इशारा किया।

तमिलनाडु CPI-M का विश्लेषण

CPI(M) की तमिलनाडु राज्य समिति द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में भारतीय चुनाव आयोग की 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) मतदाता सूचियों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में ऐसी प्रणालीगत विसंगतियों की पहचान की गई है, जो 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' के संवैधानिक अधिकार के लिए ख़तरा पैदा करती हैं। 97.35 लाख हटाए गए मतदाताओं से संबंधित 75,000 से अधिक बूथ-वार PDF फ़ाइलों की जांच करते हुए, इस अध्ययन ने कई गंभीर संख्यात्मक विसंगतियों को उजागर किया है।

मतदाता सूचियों के मसौदे (ड्राफ़्ट) से पता चलता है कि जनवरी 2025 में मतदाताओं की संख्या 6.36 करोड़ थी, जो दिसंबर 2025 तक घटकर 5.43 करोड़ रह गई। हालांकि, इसका सीधा मतलब 92.36 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने से है, लेकिन आधिकारिक 'हटाए गए मतदाताओं की सूची' में 97.37 लाख नाम दर्ज हैं। इससे 5 लाख से अधिक ऐसे मतदाताओं की संख्या में एक अस्पष्ट वृद्धि सामने आती है, जिनका नाम मूल सूची (Base List) में मौजूद ही नहीं था। 205 निर्वाचन क्षेत्रों में, हटाए गए मतदाताओं की सूची में अतिरिक्त नाम दिखाई देते हैं; वहीं दूसरी ओर, चेन्नई के आर.के. नगर सहित 29 निर्वाचन क्षेत्रों में, हज़ारों मतदाता मसौदे और हटाए गए मतदाताओं की सूची- दोनों से ही पूरी तरह ग़ायब हो गए हैं।

यह अध्ययन दर्शाता है कि मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में एक प्रकार का सामाजिक पूर्वाग्रह मौजूद है। इसका विशेष प्रभाव शहरी श्रमिक वर्ग के निवासियों और विवाह के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने वाली महिलाओं पर पड़ा है। उदाहरण के लिए, चेन्नई के अन्ना नगर निर्वाचन क्षेत्र में, पलायन के कारण 39% मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। इसके अलावा, मृत्यु के आधार पर मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया में बेहद असामान्य रुझान देखने को मिले हैं, जिसके तहत कुल 26.94 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। 41 से 65 वर्ष के आयु वर्ग में मृत्यु दर के ऐसे आंकड़े दर्ज किए गए हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव प्रतीत नहीं होते; साथ ही, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पुरुष और महिला मतदाताओं की मृत्यु दर के बीच सांख्यिकीय रूप से अविश्वसनीय अंतर भी सामने आए हैं। ये सभी तथ्य चुनावी सूचियों में मनमाने और ग़ैर-समान (non-uniform) संशोधनों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं।

CPIM अध्ययन का लिंक: https://stopsir.cpimtn.org/ & https://www.leftviews.in/politics-77808/views-55812/tamil-nadu-sir-voter-roll-irregularities-disenfranchisement-78767

4. गुजरात में SIR

बड़े पैमाने पर बिना जांच-पड़ताल के नाम हटाना और शहरी मतदाताओं के मताधिकार छीनना

गुजरात में SIR 2026 प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, 68,12,711 मतदाताओं के नाम अभूतपूर्व और अत्यधिक अनियमित तरीक़े से हटा दिए गए हैं; इस तरह राज्य के कुल मतदाताओं में से 15.47% मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। आधिकारिक घोषणाओं ने 5.6 लाख मतदाताओं के वास्तविक वृद्धि (net addition) का हवाला देकर और केवल 3.9 लाख नाम हटाए जाने की बात स्वीकार करके, इस बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया को गुमराह करने वाले तरीक़े से छिपा दिया। हालांकि, ग्राउंड डेटा से पता चलता है कि ये 68 लाख नाम, ड्राफ़्ट रोल (मसौदा सूची) तैयार होने से पहले बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा संकलित बिना जांच-पड़ताल वाली "ASD" (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) सूचियों के आधार पर, बिना किसी सुनवाई के हटा दिए गए थे। नाम हटाने की इस तकनीकी प्रक्रिया ने अनिवार्य वैधानिक सुरक्षा उपायों- विशेष रूप से 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 22 और नियम 21A- को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया; ये प्रावधान मतदाताओं को, उनके नाम सूची से हटाए जाने से पहले, एक पारदर्शी सुनवाई का कानूनी अधिकार देते हैं।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश आर. मेहता ने 3 मार्च, 2026 को निर्वाचन आयोग (ECI) को एक तत्काल प्रार्थना पत्र (representation) भेजा। इसमें 68,12,711 मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 13% हिस्सा हैं। मेहता ने एक गंभीर सांख्यिकीय धोखे की ओर इशारा किया है: जहां एक ओर आधिकारिक विज्ञप्ति में 5.6 लाख मतदाताओं के वास्तविक वृद्धि और केवल 3.9 लाख नाम हटाए जाने का दावा किया गया था, वहीं वास्तव में 68 लाख से अधिक नाम हटाए गए थे। नाम हटाने की यह बड़े पैमाने की प्रक्रिया, बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान संकलित बिना जांच-पड़ताल वाली "ASD" (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) सूचियों पर आधारित थी। नाम हटाने की इस तकनीकी प्रक्रिया ने वैधानिक सुरक्षा उपायों- जैसे कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 22 और नियम 21A- को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया; ये प्रावधान किसी भी नागरिक को, उसका नाम सूची से हटाए जाने से पहले, अपनी बात रखने का एक उचित अवसर दिए जाने की क़ानूनी गारंटी देते हैं।

जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश आर. मेहता ने ECI को भेजे अपने तत्काल प्रार्थना पत्र में रेखांकित किया है, यह सांख्यिकीय रूप से असंभव और तार्किक रूप विपरीत है कि एक आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में जहां बाहर से लोग आते हैं, लाखों वोटर अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। यह अपारदर्शी और जल्दबाज़ी में की गई क़वायद प्रवासी, आदिवासी और शहरी ग़रीब आबादी के बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का ख़तरा पैदा करती है। इसलिए, एक तत्काल स्वतंत्र ऑडिट और सभी पात्र मतदाताओं को फिर से शामिल करने के लिए एक समय-सीमा के भीतर विशेष अभियान चलाने की मांग की जाती है।

गुजरात में नागरिक समूहों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए उपलब्ध डेटा के विश्लेषण को हमारे साथ साझा किया गया है। यह अनुबंधों का एक हिस्सा है और इसे यहां देखा जा सकता है:

https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/04/Annex-6-Analysis-of-Available-Data-jointly-Conducted-by-Citizens-Groups-in-Gujarat.pdf

नोट: यह गुजरात के नागरिक समाज समूहों (SIR Gujarat) द्वारा किया गया एक प्रारंभिक और अस्थायी विश्लेषण है। आगे का विश्लेषण केवल तभी संभव हो पाएगा, जब बूथ स्तर तक का डेटा उपलब्ध हो जाए।

यह निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटासेट है, जो सांख्यिकीय रूप से सुरेश मेहता के प्रतिनिधित्व/दावों को सही साबित करता है। यह राज्य भर में कुल 6,812,711 मतदाताओं के नाम हटाए जाने की पुष्टि करता है, जिसका मतलब है कि पूरे राज्य में नाम हटाए जाने की वास्तविक औसत दर 15.47% रही। सबसे अहम बात यह है कि यह डेटा दिखाता है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों को असमान रूप से निशाना बनाया गया। उदाहरण के लिए, सूरत ज़िले में नाम हटाए जाने की औसत दर चौंकाने वाली 33.92% रही; वहीं, उधना और करंज जैसे अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 62.82% और 60.29% तक पहुंच गई, जो कि बड़े पैमाने पर की गई छंटनी को दर्शाता है। इसी तरह, अहमदाबाद ज़िले में नाम हटाए जाने की औसत दर 27.42% रही, जो बापुनगर में 41.56% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कुल मिलाकर, ये दस्तावेज़ पूरी पारदर्शिता, निर्वाचन क्षेत्र-वार खुलासे और उन मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की मांग करते हैं, जिनके नाम ग़लत तरीक़े से हटा दिए गए थे।

अध्याय - 7

बिहार, 2025 SIR

बिहार 2025 SIR में मतदाता सूची संशोधन और चुनावी पार्दर्शिता

नगर पंचायत बहादुरगंज में, कुल 13 वार्डों में 18 बूथ बनाए गए हैं। पहले 15 बूथ थे, जिसका मतलब है कि अब तीन नए बूथ और बनाए गए हैं। फिलहाल, अब तक किए गए SIR के अनुसार, 12,146 मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड हैं, जबकि पहले कुल 14,431 मतदाता रजिस्टर्ड थे।

अब, नई लिस्ट में 2,285 मतदाताओं के नाम नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लड़कियों की शादी हो गई है, वे अपने ससुराल चली गई हैं; कुछ लोगों का निधन हो गया है; कुछ लोग बहादुरगंज नगर पंचायत छोड़कर कहीं और घर बनाने चले गए हैं; या जिन लोगों के नाम दो जगहों पर रजिस्टर्ड थे, उन्होंने सिर्फ़ एक जगह को चुना है। अगली 6 मार्च के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें ताज़ा जानकारी मिलेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई वोटर लिस्ट में कितने नए मतदाता जुड़े हैं।

'सौहार्द एवं बंधुता मंच', बहादुरगंज, गाज़ीपुर के ज़रिए, हमने अपील की थी कि नगर पंचायत बहादुरगंज के सभी पोलिंग स्टेशनों पर हमारे साथियों को तैनात किया जाए, ताकि वे आम जनता की मदद कर सकें और BLOs की सहायता करके इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दे सकें। इस अपील का सकारात्मक असर हुआ, और लोगों ने इस अभियान में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर हेल्प डेस्क लगाकर, वार्ड पार्षदों और जन प्रतिनिधियों के ज़रिए लोगों को उनके फ़ॉर्म भरने में मदद की गई।

SIR पर VFD की बिहार रिपोर्ट

12 राज्यों में चल रहे दूसरे चरण के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) में फैली मौजूदा व्यवस्थागत अराजकता को समझने के लिए, हमें यह देखना होगा कि इस ब्लूप्रिंट का पहला प्रयोग बिहार में हुआ था।

'वोट फॉर डेमोक्रेसी' (VFD) की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है "THE BIHAR VERDICT 2025: AN AUDIT OF THE 'STOLEN MANDATE'," 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में कथित व्यवस्थागत और ढांचागत बदलाव की विस्तृत जांच प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का दावा है कि मतदान से कई महीने पहले ही 'डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग' (जनसांख्यिकीय हेरफेर) के ज़रिए चुनावी जनादेश के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और इसके साथ ही चुनाव के बाद डेटा में भी गड़बड़ी की गई।

रिपोर्ट का मुख्य केंद्र ECI का SIR है, जिसे बिहार चुनावों से ठीक पहले शुरू किया गया था। VFD की ऑडिट रिपोर्ट इस प्रक्रिया को किसी स्वाभाविक सत्यापन के बजाय एक "एल्गोरिथमिक सफ़ाई" (algorithmic purge) के रूप में देखती है। इस प्रक्रिया के तहत शुरू में मतदाता सूची के मसौदे से लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए थे। ये रिपोर्ट 21 से 25 जुलाई, 2025 के बीच की एक ऐसी अवधि को उजागर करती है जो सांख्यिकीय रूप से अविश्वसनीय लगती है; इस दौरान महज़ तीन दिनों में 21.27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिनमें 5.44 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता भी शामिल थे जिन्हें अचानक 'मृत' घोषित कर दिया गया था। VFD का आरोप है कि इन नामों को हटाने की प्रक्रिया में हाशिए पर पड़े समुदायों- जिनमें मुस्लिम, दलित और प्रवासी मज़दूर शामिल हैं- को असमान रूप से निशाना बनाया गया। इसके अलावा, SIR के कारण पैदा हुए भारी प्रशासनिक दबाव का मानवीय स्तर पर भी भारी ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ा, जिसके चलते कथित तौर पर कम से कम 32 'बूथ लेवल अधिकारियों' (BLOs) की जान चली गई।

रिपोर्ट में संस्थागत स्तर पर की गई धांधली का भी विस्तृत विवरण दिया गया है; उदाहरण के लिए, 1.8 लाख "जीविका दीदियों"- यानी राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान पाने वाली ग्रामीण महिलाओं- को चुनावी स्वयंसेवकों के तौर पर तैनात किया गया। रिपोर्ट का दावा है कि इस क़दम ने कल्याणकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और नियमित BLOs की निष्पक्षता को कमज़ोर किया।

चुनाव के बाद, VFD ने डेटा में कई गंभीर विसंगतियों का ख़ुलासा किया है। रिपोर्ट में मतदाताओं की मतदान दर के आंकड़ों में हुई कुछ अस्पष्ट "आधी रात की बढ़ोत्तरी" (midnight hikes) का ज़िक्र किया गया है; इनमें परिणामों की घोषणा के अगले ही दिन, पुरुष और महिला दोनों मतदाताओं की मतदान दर में एक समान 0.18% की वृद्धि शामिल है। ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी 20 विधानसभा सीटों की ओर भी इशारा किया गया है, जहां जीत-हार का फ़ैसला बेहद कम अंतर- महज़ 0 से 9 वोटों- से हुआ था। इसके अलावा, यह रिपोर्ट वोटिंग के तरीक़ों के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती है: 120 सीटों पर, जहां आख़िर में जीतने वाला उम्मीदवार पोस्टल बैलेट की

गिनती में पीछे रह गया, उनमें से 109 सीटें NDA के खाते में गईं; यह इस बात को उजागर करता है कि EVM के नतीजों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता थी।

आख़िर में, ये रिपोर्ट यह निष्कर्ष निकालती है कि 243 में से 128 निर्वाचन क्षेत्रों में, चुनाव से पहले हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतिम अंतर से ज़्यादा थी। यह VFD के इस दावे को और मज़बूत करता है कि चुनाव के नतीजे, एक भी वोट डाले जाने से पहले ही तय कर लिए गए थे।

VFD की बिहार की रिपोर्ट नीचे दिए गए लिंक से देखी जा सकती है:

https://votefordemocracy.org.in/wp-content/uploads/2026/01/260113-FINAL-THE-BIHAR-VERDICT.pdf

Vote for Democracy की हाल के चुनावों पर पिछली रिपोर्टें

Vote for Democracy (VFD) महाराष्ट्र-स्तरीय एक नागरिक मंच है, जिसमें कई दिग्गज नागरिक और संगठन शामिल हैं; इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। हमारा मिशन मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना, मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाना और ऐसे नफ़रत-मुक्त चुनावों को बढ़ावा देना है, जहां जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि हों। हमारी रिपोर्टें और विश्लेषण लगातार आते रहे हैं, जिनमें लोकसभा चुनावों (2024), बिहार के SIR और विधानसभा चुनावों (जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2025), महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों (2024), तथा हरियाणा और जम्मू-कश्मीर चुनावों (2024) में वोटों की हेराफेरी (spurious injection) की गहन जांच और खुलासे शामिल हैं। ECI को भेजे गए नियमित प्रार्थना पत्रों के अलावा, हमने ECI को एक व्यापक रूप से प्रसारित और समर्थन प्राप्त ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है कि मतदाताओं के Form 17C की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए और मौजूदा, तकनीकी रूप से अव्यवस्थित EVS संरचना को दुरुस्त किया जाए।

उपरोक्त सभी सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://votefordemocracy.org.in/

अध्याय - 8

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संबंधित आदेश (2025-2026)

(बिहार SIR 2025 से)

आदेश की तारीख़	ECI को आदेश/निर्देश	ECI द्वारा आवेदन
14.08.2025	सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे ज़िला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उन लगभग 65 लाख मतदाताओं की ज़िला-वार सूची प्रकाशित करें, जिन्हें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हटाने के कारणों- जैसे मृत्यु, पलायन, दोहरी-पंजीकरण आदि-का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।	18.08.2025 को ECI ने उन 65 लाख लोगों के नाम जारी किए, जिन्हें मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया था।
22.08.2025	अदालत ने आदेश दिया कि जिन लोगों को मतदाता सूची के ड्राफ़्ट से बाहर रखा गया है, वे सूची में शामिल होने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं; फ़ॉर्म को हाथों-हाथ जमा करना आवश्यक नहीं है। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए ग्यारह दस्तावेज़ों में से कोई भी एक दस्तावेज़, या फिर आधार कार्ड, सूची में शामिल होने के लिए दिए गए आवेदन के साथ जमा किया जा सकता है।	
08.09.2026	जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की डिवीज़न बेंच ने ECI को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड को "12वें दस्तावेज़" के तौर पर माने, जिसे बिहार की संशोधित मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पहचान के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है।	09.09.2025 को - SIR के दौरान पहचान के प्रमाण के रूप में आधार की स्वीकृति
09.10.2025	डिवीज़न बेंच ने एक अंतरिम आदेश जारी किया ताकि अंतिम सूची से बाहर रखे गए लोगों को मुफ़्त क़ानूनी सहायता मिल सके, जिससे वे अपने नाम हटाए जाने के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकें। बेंच ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से यह भी कहा कि वह DLSA को ज़रूरी निर्देश जारी करे, ताकि पैरालीगल वॉलंटियर और क़ानूनी सहायता वकील उपलब्ध रहें, जो बाहर किए गए लोगों को अपील दायर करने में मदद कर सकें।	
19.01.2026	राज्य बोर्ड द्वारा जारी कक्षा-10 का एडमिट कार्ड गणना के लिए एक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।	
25.02.2025	पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक (कक्षा 10) का एडमिट कार्ड, पश्चिम बंगाल राज्य में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान आयु और अभिभावकता के सत्यापन के उद्देश्य से, माध्यमिक पास कार्ड के साथ जमा किया जाना चाहिए।	
10.03.2026	सुप्रीम कोर्ट ने एक अपीलीय तंत्र बनाने का निर्देश दिया है, ताकि उन लोगों की आपत्तियों को सुना जा सके जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान ख़ारिज कर दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस आर. महादेवन तथा जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने ECI को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। इस अपीलीय निकाय में हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश शामिल होंगे।	

Citizens for Justice and Peace (CJP)
https://cjp.org.in | email: info@cjp.org.in

& Vote for Democracy (VFD)
https://votefordemocracy.org.in | email: votefordemoc@gmail.com